हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

9 मार्च, 2015

खण्ड-1, अंक-1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 9 मार्च, 2015

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल का अभिभाषण	(1) 1
शोक-प्रस्ताव	(1) 24
महाधिवक्ता, हरियाणा का परिचय तथा अभिनंदन	(1) 37
बैठक का स्थगन	(1) 37

190

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 9 मार्च, 2015

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में अपराह्न 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवरपाल) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बंधी नियमों के नियम 18 के मुताबिक मुझे यह सूचना देनी है कि संविधान के अनुच्छेद 176-(1) के अधीन राज्यपाल महोदय ने आज दिनांक 09.03.2015 को अपराह्न 02.00 बजे हरियाणा विधान सभा को सम्बोधित करने की कृपा की थी। उनके अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है।

(महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।)

सम्मानित अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सभासदो!

मैं, इस सम्मानित सदन के नववर्ष के प्रथम सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। संभावनाओं, उम्मीद और आशा से परिपूर्ण इस वर्ष में, मैं आशान्वित हूं कि आपका विचार–विमर्श रचनात्मक और उपयोगी होगा तथा हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा।

2. हरियाणा के लोगों ने निर्णायक जनादेश के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन तथा विकास में भेदभाव के साथ–साथ भाई–भतीजावाद को खत्म करने की प्रबल इच्छा जाहिर की है। मेरी सरकार लोगों की इस इच्छा को पूरा करने के लिए उपयुक्त वातावरण के सृजन के लिए वचनबद्ध है। मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' तथा 'सरकार कम से कम–सुशासन अधिकतम' के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य कर रही है। मेरी सरकार लोकतान्त्रिक संस्थानों की विश्वसनीयता पुन: बहाल करने के लिए कार्य कर रही है। हमारी महान सभ्यता के 'एकात्म मानव दर्शन' का मूल सिद्धान्त मेरी सरकार के सभी कार्यों को दिशा दिखाता है।

3. मेरी सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार किया है ताकि अमीर और गरीब, मालिक तथा मज़दूर, विद्यार्थी और अध्यापक, युवा और बुजुर्ग तथा पुरूष व महिलाएं शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने दैनिक कार्य और जीवनयापन कर सकें। मेरी सरकार ने अपनी कार्यप्रणाली में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाए हैं तथा भ्रष्टाचार के प्रति *'ज़ीरो टॉलरेंस'* की नीति अपनाई है। मेरी सरकार ने श्रेणी, जाति अथवा सम्प्रदाय आधारित भेदभाव किये बिना समाज के सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध करवाने के कदम उठाये हैं। मेरी सरकार रोजगार के अवसर सृजित करने तथा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा

[श्री अध्यक्ष]

सुनिश्चित करेगी। मेरी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य युवाओं का चरित्र–निर्माण करना और उनमें नैतिक मूल्य पैदा करना है। मेरी सरकार इस तथ्य के प्रति पूरी संजीदा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर नई खेल एवं शारीरिक स्वस्थता नीति लागू की गई है। यह नीति हमारे युवाओं को तराशने तथा उनकी ऊर्जा को सही दिशा देने के दृष्टिगत उपयुक्त वातावरण तथा अवसर उपलब्ध करवाएगी ताकि वे विभिन्न क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में राज्य का नाम रोशन कर सकें।

4. गौधन पुरातन वैदिक काल से ही हमारी महान सभ्यता का केन्द्र–बिन्दु रहा है। मेरी सरकार विरासत के इस भाग के संरक्षण के लिए वचनबद्ध है तथा इसी सत्र में हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेगी।

5. मेरी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' आह्वान पर अपने सभी अनिवार्य संसाधन जुटाये हैं। सरकार असंतुलित लिंगानुपात की स्थिति को बदलने के प्रयास करेगी तथा यह भी सुनिश्चित करेगी कि सब प्रकृति के अनुसार ही हो। सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से पेश आएगी, जो कानून का उल्लंघन करते हैं तथा कन्या को उसके जीने के अधिकार से वंचित करते हैं।

6. मेरी सरकार अपने नागरिकों के लिए सेवा प्रदायगी तंत्र में सुधार लाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रही है। मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि सूचना प्रौद्योगिकी नागरिक–सरकारी कर्मचारियों के बीच अन्तरापफलक तथा विभिन्न स्तरों पर अक्षमता तथा स्वैच्छिक शक्तियों पर अंकुश लगा कर भ्रष्टाचार के उन्मूलन का एक कारगर माध्यम है। दस्तावेज पंजीकरण की नई प्रणाली इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूरे हरियाणा में लागू, इस प्रणाली से जनसाधारण की परेशानी समाप्त होगी तथा इस सेवा की समय पर प्रदायगी सुनिश्चित होगी। मेरी सरकार ने भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती तथा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसम्बर, 2014 को सुशासन दिवस के रूप में मनाया है। इस शुभ अवसर पर शुरू किया गया 'सीएम विण्डो' वैब–पोर्टल लोगों को किसी भी शिकायत के निवारण हेतु सीधे मुख्यमंत्री को निवेदन करने में सक्षम बनाता है। यह ऑनलाइन सुविधा निर्धारित अवधि के अंदर कार्यवाही करने तथा रिपोर्ट हेतु शिकायतों को तत्काल सम्बन्धित विभाग को भेजना सुनिश्चित करती है।

7. मेरी सरकार गरीबों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान को समर्पित है। गरीबी का कोई धर्म नहीं होता, भूख की कोई जाति नहीं होती और निराशा का कोई भूगोल नहीं होता। मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि विकास पर पहला हक गरीब का है। 'अंत्योदय' को हासिल करने के लिए मेरी सरकार सबसे पहले उन लोगों पर ध्यान केन्द्रित करेगी, जिन्हें जीवन की बुनियादी जरूरतों की सबसे अधिक आवश्यकता है। सरकार सहानुभूति, सहायता तथा सशक्तिकरण के माध्यम से अपने सभी नागरिकों को सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा व बेहतर जीवन मुहैया करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

8. कृषि हमारे बहुसंख्यक लोगों की आजीविका का साधन है। मेरी सरकार कृषि को लाभकारी बनाने के लिए कृषि में सार्वजनिक तथा निजी निवेश को बढ़ाने के प्रयास करेगी। कृषि को एक लाभदायक उद्यम बनाने के लिए कटाई उपरांत प्रबंधन और विपणन की आधारभूत संरचना में सुधार करने के साथ–साथ बागवानी, फूलों की खेती, कृषि वानिकी तथा जड़ी–बूटी व औषधीय पौधों की काश्त को बढ़ावा देकर कृषि के विविधिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। राज्य में बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित करने का भारत सरकार का हाल ही का निर्णय इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे, फसलों की 'हरित क्रांति' की तर्ज पर बागवानी में 'फल एवं फूल क्रांति' लाने में मदद मिलेगी। मेरी सरकार किसानों के लिए बेहतर तथा विविध अवसर सुनिश्चित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देगी तथा किसान–उद्योग सम्पर्क विकसित करेगी। निचले स्तर पर सहकारिता की भावना पैदा करने के लिए विसंगतियों को दूर करने तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए सहकारिता क्षेत्र के मौजूदा नियमों तथा उप–नियमों की समीक्षा की जायेगी।

9. जल की हर बूंद कीमती है। मेरी सरकार जल सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। काफी समय से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाएगा तथा 'हर खेत को पानी' के लक्ष्य के साथ 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' लागू की जाएगी। बाढ़ तथा सूखे की पुनरावृति रोकने तथा अपने जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नदियों को जोड़ने, जहां भी व्यवहारिक हो, समेत सभी विकल्पों पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। 'जल संचय' तथा 'जल सिंचन' के माध्यम से बरसाती पानी का सदुपयोग करके हम जल संरक्षण तथा भू–जल पुनर्भरण को बढ़ावा देंगे। 'प्रति बून्द–अधिक फसल' सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को लोकप्रिय बनाया जाएगा।

10. मेरी सरकार सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना के भारत सरकार के निर्णय का स्वागत करती है। मेरी सरकार 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केन्द्र सरकार से धन के हस्तांतरण, जोकि 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है, का सदुपयोग मुख्यत: गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लाभ के लिए करेगी। आगामी पांच वर्षों में प्राप्त होने वाले बढ़े हुए अनुदान का पूरा लाभ उठाकर पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत किया जाएगा।

11. सरकार की जनहितैषी नीतियों के कारण कम हुई मुद्रास्फीति के चलते भारत की सुधरती अर्थव्यवस्था की विकास दर निकट भविष्य में दोहरे अंकों में पहुंच जाएगी। केन्द्र सरकार का 'मेक इन इण्डिया' कार्यक्रम हरियाणा में पूरे जोर–शोर से लागू किया जाएगा। इसके लिए निवेश को प्रोत्साहित करने, नवाचार में तेजी लाने, दक्षता विकास बढ़ाने तथा बेहतरीन विनिर्माण अवसंरचना सृजित करने पर बल दिया जाएगा। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के और अधिक अवसर सृजित होंगे।

कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियां

माननीय सभासदो !

12. हालांकि हरियाणा देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 1.4 प्रतिशत है, लेकिन केन्द्रीय खाद्यान्न भंडार में यह लगभग 16 प्रतिशत का योगदान देता है और देश में दूसरा सबसे

[श्री अध्यक्ष]

बड़ा योगदानकर्ता है। यह एक वास्तविकता है कि भूमि जोत छोटी होती जा रही हैं तथा कृषि उत्पादकता चरम सीमा पर पहुंचने के कारण उत्पादन लागत बढ़ रही है। राज्य सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। किसानों को मौजूदा गेहूं-धान के फसल चक्र से निकाल कर कपास, तिलहनों, दालों, मक्का, औषधीय पौधों, फूलों तथा बागवानी फसलों जैसी नकदी फसलों के माध्यम से फसल विविधिकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में अगले वित्त वर्ष से भारत सरकार द्वारा विकसित 'परम्परागत कृषि विकास योजना' लागू की जाएगी। इसका लक्ष्य रासायनिक अवशेषों से मुक्त कृषि उत्पादन का सतत् तथा पर्यावरण हितैषी मॉडल विकसित करना है। इस योजना में, 50 एकड़ में क्लस्टर बनाना, प्रमाणीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण; प्रत्येक क्लस्टर के लिए जैविक खेती हेतु कार्य योजना बनाना; समेकित खाद प्रबंधन; कस्टम हायरिंग सैंटर (सी.एच.सी.) तथा क्लस्टर के जैविक उत्पादों की पैकिंग, लेबलिंग तथा ब्रांडिंग शामिल है। सरकार का 'अटल खेती–बाड़ी खाता योजना' शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत प्रदेश के सभी किसानों को डिजिटलीकृत पंजीकरण कार्ड जारी किए जाएंगे। इन कार्डों में किसान की भूमि का विवरण, स्वयं की है या पट्टे अथवा किराये पर ली गई है, पैदा की जा रही फसलों, सिंचाई के साधन – नलकूप अथवा नहर इत्यादि के विवरण समेत कृषि गतिविधियों से सम्बन्धित प्रासंगिक जानकारी होगी। प्रयुक्त किए जाने वाले आदानों यथा बीज, उर्वरक, कीटनाशक का वितरण तथा प्रबन्धन इस डाटा के इस्तेमाल के माध्यम से किया जाएगा, जिसे केन्द्रीयकृत डाटाबेस में रखा जाएगा। राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं, कीटों व बीमारियों तथा बाजार मूल्यों के उतार–चढ़ाव के कारण व फसल पैदावार को अन्य विपरीत घटनाओं से होने वाले नुकसान के मामले में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए आगामी वित्त वर्ष से भारत सरकार की 'राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना' लागू करेगी। किसान की आर्थिक बेहतरी सुनिश्चित करने की मेरी सरकार की वचनबद्धता इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि मेरी सरकार ने खरीफ 2014 के दौरान सूखे के कारण कपास की फसल को हुई हानि के लिए 123.22 करोड़ रुपये वितरित किये हैं।

13. मेरी सरकार उच्च उत्पादन को हासिल करने के लिए किसानों को अनुदानित दरों पर गुणवत्तापरक आदान उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए जीरो टिल सीड–कम–फर्टिलाइजर्स ड्रिल, स्ट्रा रीपर्स, रोटावेटर, लेजर लैंड लेवलर इत्यादि जैसे आधुनिक तथा उन्नत उपकरण किसानों को अनुदानित दरों पर उपलब्ध करवाए गए हैं। राज्य के शुष्क तथा अर्ध–शुष्क क्षेत्रों में फव्वारा प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जल संरक्षण के लिए, राज्य में अब तक 1.28 लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि को भूमिगत पाइप लाइन प्रणाली के तहत लाया गया है। इससे 40 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु लघु व सीमांत किसानों को 70 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। मृदा में मुख्य तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पहचान के लिए 21 लाख से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। मेरी सरकार का 3 नई मृदा जांच प्रयोगशालाएं तथा दो सचल मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है।

14. राज्य के कुल फसली क्षेत्र में बागबानी फसलों का हिस्सा 6.94 प्रतिशत है। राज्य में 4.50 लाख हैक्टेयर भूमि पर फल, सब्जियों तथा मसालों का उत्पादन किया जा रहा है और इनका वार्षिक उत्पादन 62.95 लाख टन है। राज्य में पॉलीहाउसों के निर्माण पर 65 प्रतिशत अनुदान देकर 'हर मौसम में सम्भव' खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागबानी फसलों की नियमित तथा समय पर सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए किसानों को जल संग्रहण टैंकों के निर्माण पर सहायता दी जा रही है। ऐसे 232 जल संग्रहण टैंकों का निर्माण किया जा रहा है। किसानों को फलों तथा सब्जियों पर कीटनाशक अवशेषों के बुरे प्रभाव के स्तर को कम करने तथा इसकी निगरानी के लिए भी शिक्षित किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए करनाल तथा सिरसा में दो कीटनाशक अवशेष जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं।

15. मेरी सरकार आधुनिक अर्थव्यवस्था में ब्रांड के महत्व को बखूबी समझती है। किसानों के उत्पादों की बिक्री में उनकी सहायता के लिए 'लघु कृषक कृषि व्यापार संघ' के पास 'हरियाणा फ्रैश' के नाम से एक नया ब्रांड पंजीकृत करवाया गया है। मेरी सरकार किसानों तथा उपभोक्ताओं के बीच सम्पर्क स्थापित करने तथा किसानों को प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास तथा नवाचारों की जानकारी देने का भी इरादा रखती है। इसे हासिल करने के लिये, गुड़गांव में 13 से 15 मार्च, 2015 तक तीन दिवसीय 'एग्री लीडरशिप समिट--2015' का आयोजन किया जाएगा।

16. हरियाणा का प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष मछली उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत खारे पानी में झींगा पालन और जल भराव वाले क्षेत्रों में मछली पालन हेतु दो नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सजावटी मछली पालन इकाइयों जैसी मूल्य संवर्धित तथा विविधिकृत परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

17. मेरी सरकार सामुदायिक भागीदारी के द्वारा पर्यावरण में सुधार करने तथा वनों और वन्य प्राणियों की जैव-विविधता के संरक्षण के लिए राज्य में वनों तथा वृक्षों का क्षेत्र बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। पंचायतों तथा संस्थानों की भूमि पर सामुदायिक वनीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। 'हर घर हरियाली' की परिकल्पना के तहत वनीकरण को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। नीम, शीशम, बकैण, जांड, रोहेड़ा इत्यादि जैसी देसी किस्मों के पौधारोपण पर विशेष बल दिया जाएगा। परम्परागत भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये हर जिले में हर्बल पार्क विकसित किये जाएंगे। औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देकर तथा इनके विपणन के लिये मजबूत बाजार सम्बद्धता उपलब्ध करवाकर किसानों को कृषि के विविधिकरण के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। वन क्षेत्रों तथा पौधारोपण के प्रबंधन तथा निगरानी में सुधार लाने के लिए आधुनिक जी.आई.एस. प्रौद्योगिकी के प्रयोग से वन क्षेत्रों का डिजिटलीकरण किया जाएगा।

पशुपालन

18. मेरी सरकार हरियाणा तथा साहीवाल जैसी देसी नस्ल की गायों के संरक्षण (गौवंश संरक्षण) तथा उन्नयन (गौसंवर्धन) के प्रावधान करेगी तथा राज्य में गौवध प्रतिबंध के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी तथा कठोर उपाय सुनिश्चित करेगी। मेरी सरकार बेसहारा पशुओं को आश्रय, चारा तथा पशुचिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में उपयुक्त स्थानों पर गौ-अभ्यारण्य भी स्थापित करेगी। राज्य में देसी नस्ल के पशुओं के संरक्षण, उन्नयन तथा समेकित विकास हेतु

[श्री अध्यक्ष]

'राष्ट्रीय गौजातीय प्रजनन एवं डेरी विकास कार्यक्रम' के तहत 77.90 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

19. मेरी सरकार देसी नस्लों की पांच गायों तक की लघु डेरी इकाइयां स्थापित करने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी। किसानों को अधिक दूध देने वाली अच्छी गुणवत्ता की देसी नस्ल की गाय पालने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने इन नस्लों के प्रदर्शन को दर्ज करने का निर्णय लिया है और इसके लिए दूध की मात्रा के आधार पर मालिकों को 10 हजार रुपये से 20 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। मेरी सरकार वसा, ठोस गैर–वसा और बीटा–कैरोटीन तत्व की प्रतिशतता तथा ए–2 वंशावली के आधार पर पशमर्शी मूल्य नीति व व्यापक शिक्षा योजना के माध्यम से गाय के दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन को प्रोत्साहित करने के प्रयास करेगी। विभाग की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, आवश्यक आधारभूत संरचना, मानव संसाधन तथा मोबाइल वैनों द्वारा खण्ड स्तरीय पशु चिकित्सा अस्पतालों को मजबूत बनाकर, राज्य में प्रत्येक खण्ड में सचल पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जाएंगे।

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन

20. मेरी सरकार ने नई दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली शुरू करने के अतिरिक्त, सम्पत्ति पंजीकरण के लिए ऑनलाइन स्टाम्प पेपर सृजन के लिए ई–स्टाम्पिंग प्रणाली शुरू करने का भी निर्णय लिया है। यह प्रणाली लेनदेन में प्रामाणिकता सुनिश्चित करेगी तथा स्टैम्प विक्रेता या बैंकों से स्टैम्प पेपर की खरीद न करने के इच्छुक लोगों के लिए भी लाभकारी होगी।

21. मेरी सरकार राज्य के मेवात तथा शिवालिक के पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास गतिविधियों को पुनर्जीवित करेगी। मेरी सरकार मेवात विकास बोर्ड तथा शिवालिक विकास बोर्ड की नियमित बैठकें आयोजित करके इन गतिविधियों की उपयुक्त निगरानी सुनिश्चित करेगी।

खाद्य एवं आपूर्ति

माननीय सभासदो !

22. मेरी सरकार ने लाभार्थियों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर पर गेहूं की आपूर्ति व अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त उनकी पसंद के अनुसार, एक रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बाजरा एवं मक्का की आपूर्ति, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत करने का निर्णय लिया है।

23. मेरी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वस्तुओं के वितरण में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिसम्बर, 2014 से लाभार्थियों तथा पणधारकों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। सम्पूर्ण डिजिटाईज़ेशन के उपरांत लाभानुभोगियों को नये राशनकार्ड दिये जाएंगे और सभी प्रासंगिक आंकड़े विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इस नवीनतम प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सभी तरह की हेरा–फेरी पर रोक लगेगी और लाभानुभोगियों की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित होगी। उपभोक्ताओं की शिकायतों

के निवारण के लिए एक राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन तथा टोल फ्री नम्बरों के साथ एक पी.डी. एस. हैल्प डैस्क स्थापित किये गये हैं।

24. किसानों को उनके कृषि उत्पाद का लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ विपणन मौसम 2014 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 29.78 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। खाद्य खरीद एजेंसियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के पूर्ववर्ती 12 प्रतिशत हिस्से समेत रबी विपणन मौसम 2015 में गेहूं की खरीद के लिये व्यापक प्रबंध किये गए हैं। खरीद का कार्य वर्तमान पद्धति अनुसार भारत सरकार की ओर से ही होगा तथा किसानों के हित का पूर्ण संरक्षण किया जाएगा।

सहकारिता

25. सहकारिता आंदोलन ने हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आंदोलन ने व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने समेत कई सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं। मेरी सरकार हरियाणा के लोगों में विभिन्न मानवीय उद्यमों में सहकारिता की भावना पैदा करने की इच्छुक है। मेरी सरकार लाभ के मकसद से परे, समतावादी लोकाचार, सहभागितापूर्ण निर्णय निर्धारण, सांझा स्वामित्व, लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ सतत् विकास के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर हरियाणा में सहकारिता आंदोलन के विकास तथा मजबूतीकरण में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगी। सरकार का लक्ष्य बहुउद्देशीय समितियों, फल एवं सब्जी समितियों, सेवा समितियों तथा सहकारी गौशालाओं इत्यादि का पंजीकरण करके, सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं एवं युवाओं को सम्मिलित करना है।

26. मेरी सरकार चीनी मिलों द्वारा पिराई किये गए गन्ने का किसानों को समय पर भुगतान करने को वचनबद्ध है। सहकारी संस्थाओं की उपलब्धियों में सुधार करने के लिये, उनके लिये परेशानी का सबब बनने वाले विभिन्न प्रबंधकीय तथा संचालन सम्बन्धी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। मेरी सरकार ने एकमुश्त अदायगी योजना को 31 मई, 2015 तक बढ़ा दिया है, ताकि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के ऋण की अदायगी में चूक करने वाले कर्जदार अपने ब्याज की देयता राशि में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा कर अपने बकाया कर्ज़ की अदायगी कर सकें।

सिंचाई

27. 'हर खेत को पानी' सुनिश्चित करना मेरी सरकार का दृष्टिकोण है तथा इसे साकार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। विशेष प्रयास करके अधिकांश नहरों के छोर तक पानी पहुंचाया गया है और आगामी छः महीनों के अंदर शेष अंतिम छोरों तक पानी पहुंचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बहाव सिंचाई के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने जैसे कदम उठाकर उपलब्ध पानी का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सिंचाई एवं पेयजल हेतु जल संरक्षण के लिए व्यवस्थित रूप से सभी उपाय किए जाएंगे, जिनमें वर्षा के पानी का भण्डारण, कुंओं का पुनर्भरण और अनुपयोगी ग्रामीण तालाबों का सुधार करना शामिल है।

[श्री अध्यक्ष]

28. मेरी सरकार सतलुज–यमुना लिंक नहर का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवाने तथा बी.एम.एल.–हांसी ब्रांच–बुटाना ब्रांच बहुउद्देशीय लिंक चैनल को जोड़ने के लिये सक्रियता से सभी कदम उठा रही है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है कि हरियाणा को सभी अन्तर्राज्यीय नदी–जल समझौतों से इसके देय हिस्से का पानी मिले।

29. मेरी सरकार को सदन में यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यमुना नदी पर अपस्ट्रीम भण्डारण बांधों की परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा लखवार परियोजना का निर्माण कार्य इस वर्ष शुरू होने की संभावना है तथा व्यासी परियोजना के कार्य में प्रगति हुई है। सरकार के सतत् प्रयासों के कारण अन्य दो बांधों, किशाऊ और रेणुका की स्वीकृतियां प्राप्त करने में भी प्रगति हुई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से हरियाणा को पानी की कमी के दौरान भी यमुना से पानी मिलता रहेगा।

30. मेरी सरकार पानी की कमी वाले दक्षिणी हरियाणा में सिंचाई क्षमता के विकास के लिए कृतसंकल्प है। जिला मेवात में कोटला झील की विरलम्बित परियोजना दो चरणों में शुरू की गई है। कोटला झील परियोजना के प्रथम चरण का कार्य 17 करोड़ रुपये की लागत से जून, 2015 तक पूरा किया जाएगा तथा दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसके लिए सरकार ने भूस्वामियों को मुआवजे के रूप में 51 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इस परियोजना के पूरा होने से आसपास के क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा तथा भू–जल पुनर्भरण भी होगा। जवाहर लाल नेहरू उठान सिंचाई प्रणाली के पम्प घरों की उठान क्षमता और चैनलों की प्रवाह क्षमता को सुधारने की एक मुख्य परियोजना शुरू करने का सरकार का प्रस्ताव है।

बिजली

31. मेरी सरकार राज्य में सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं गुणवत्तापरक बिजली की आपूर्ति करने के लिए वचनबद्ध है। बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के साथ–साथ इसके कुशल सम्प्रेषण एवं वितरण के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। नवम्बर 2014, दिसम्बर 2014 और जनवरी, 2015 के दौरान सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को 991 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई, जोकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान 886 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। बिजली आपूर्ति को और बढ़ाने तथा पानीपत थर्मल पावर प्लांट की 110–110 मैगावाट क्षमता की पुरानी और अक्षम इकाई नं. 1 से 4 को बंद करके इनके स्थान पर लगभग चार हजार करोड़ रुपये की लागत से 800 मैगावाट का एक सुपरक्रीटिकल थर्मल पॉवर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। झारखण्ड में कल्याणपुर–बादलपारा कोयला ब्लॉक विकसित करने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार के साथ एक नई संयुक्त उद्यम कम्पनी बनाई गई है, जिसकी सहायता से आने वाले समय में यमुनानगर में 800 मैगावाट का एक अन्य सुपरक्रीटिकल संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

32. गत तीन महीनों के दौरान सम्प्रेषण प्रणाली की 99 प्रतिशत उपलब्धता को बनाए रखा गया है। सम्प्रेषण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2017–18 के अंत तक 66 केवी और उससे अधिक क्षमता के 71 नये ग्रिड सब–स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन

पर आगामी तीन वर्षों में लगभग चार हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2015 से 2017 के दौरान 340 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 66 केवी और इससे अधिक क्षमता के वर्तमान 102 सब–स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि किये जाने की योजना है।

33. मेरी सरकार ने वर्ष 2016–17 तक लगभग 5500 करोड़ रुपये के खर्च से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए एक समेकित योजना तैयार की है। वर्ष 2016–17 तक 33 केवी की 1426 किलोमीटर लम्बी लाइनें बिछाने के अलावा, 33 केवी के 160 नये सब–स्टेशन स्थापित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, 33 केवी के 97 सब–स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि करने की भी योजना है।

34. हरियाणा के बिजली निगमों को विभिन्न कारणों से भारी नुकसान हो रहा है। सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को चौबीसों घण्टे बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को साकार करने के लिए बिजली निगमों के घाटों को कम करना होगा। इसलिए बिजली प्रणाली के सुधार और सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ तकनीकी और वाणिज्यिक घाटों को कम करने के लिए कार्य किये जा रहे हैं। समय आ गया है कि हम संकीर्ण राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर, उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत की अदायगी करने के लिए प्रेरित करें।

35. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का चरणबद्ध ढंग से उन्नयन और आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया गया है। बिजली निगमों में सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का एक काडर सृजित करने का प्रस्ताव है। बिजली प्रणाली के कुशल प्रबंधन और शीघ्र मरम्मत एवं रखरखाव के लिए निगमों की तकनीकी मानवशक्ति के उन्नयन का भी प्रस्ताव है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतें

36. मेरी सरकार की सोच पंचायती राज संस्थानों को और अधिक भागीदारीपूर्ण, पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाकर सशक्त करना है। पंचायतों को उचित मसौदे के साथ वर्ष में कम से कम चार बार ग्राम सभाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। मेरी सरकार गांवों की परिसम्पतियों के मानचित्रण तथा खातों के रख–रखाव के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियां लागू करेगी।

37. पंचायतों के संस्थानीकरण के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम 'ग्राम सचिवालय' स्थापित करने की एक नई योजना प्रस्तावित है। यह परिसर सभी विभागों से दौरे पर आए कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल, नागरिक सेवा केन्द्रों, बैंक, डाकघर, दुकानों आदि के लिए निर्धारित स्थल उपलब्ध करवाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित सामाजिक–आर्थिक बदलाव लाने के मद्देनजर 'गर्वित–ग्रामीण विकास के लिए तरुण' नामक एक नई मार्गदर्शक योजना शुरू की गई। यह योजना युवाओं को स्वेच्छाकर्मी और गांवों में परिवर्तन के संवाहक बनने के लिए प्रेरित करेगी। इस योजना में स्वेच्छाकर्मियों के लिए परिभाषित भूमिका, उनके क्षमता निर्माण तथा परिणामों के मूल्यांकन की परिकल्पना की गई है। लोगों को प्रेरित करने तथा उनमें गर्व की भावना जागृत करने के लिए 'ग्राम गौरव पटल' लगाए जाने प्रस्तावित हैं, जिन पर गांव का इतिहास, संस्कृति, शहीदों और कामयाब एवं प्रख्यात व्यक्तियों के नाम दर्शाये जाएंगे।

[श्री अध्यक्ष]

38. मेरी सरकार 'स्वच्छ हरियाणा--स्वच्छ भारत अभियान' के तहत गांवों में एक स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2019 तक सभी गांवों में ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन सुविधाएं तथा सभी पात्र घरों में व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध करवाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस वर्ष लगभग 83,000 परिवारों को शौचालय उपलब्ध करवाए गये हैं। गांवों का तेजी से विकास करने तथा भारत के गांवों के पुनर्निर्माण के महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने के लिए 'विधायक आदर्श ग्राम योजना' शुरू की जानी भी प्रस्तावित है ताकि हर किसी के लिए गांवों में रहना भी वैसा ही आसान हो जैसाकि शहरों में है। इस दृष्टिकोण ने कई लोगों तथा संगठनों को गांव गोद लेने के लिए प्रेरित किया है। अतः ग्रामीण विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए 'स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना' नामक एक नई योजना तैयार की जा रही है।

39. राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत चालू वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए 2002 नये स्वयं सहायता समूह बनाए गये हैं और 11 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। आगामी वर्ष में इस मिशन के तहत 1500 नये स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत आगामी वर्ष में 70 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से 57000 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि का उपचार किया जाना प्रस्तावित है।

शिक्षा

40. प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापरक उच्चतर शिक्षा प्रदान करना और उन्हें रोजगार के काबिल बनाना मेरी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। वर्तमान में 26 राजकीय कन्या महाविद्यालय और 35 निजी कन्या महाविद्यालय हैं, जिन्हें राज्य सरकार 95 प्रतिशत सहायता अनुदान प्रदान कर रही है। हम लड़कियों को उच्चतर शिक्षा की अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए और अधिक राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम प्रदेश में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों में लिंग संवेदी वातावरण भी सृजित करना चाहते हैं।

41. मेरी सरकार राज्य के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर--शैक्षणिक अमले की भारी कमी को दूर करेगी। सरकारी सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में कर्मचारियों के लिए ई--पेंशन योजना शुरू करने से उनकी चिरलम्बित मांग पूरी हुई है।

42. आमतौर पर यह माना गया है कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों से सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू होने के पश्चात, 'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' के तहत कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा समाप्त कर दी गई थी, परन्तु विद्यार्थियों के निरंतर तथा व्यापक मूल्यांकन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। मेरी सरकार ने निरंतर तथा व्यापक मूल्यांकन की दिशा में साहसिक तथा सुधारात्मक कदम उठाए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की मासिक परीक्षाएं शुरू की गई हैं तथा इन मासिक परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों को

रैमेडियल कोचिंग दी जाएगी। इतना ही नहीं, अध्यापकों में स्व–अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए 'अध्यापक डायरी' बनाना भी अनिवार्य किया गया है, जिसमें न केवल विषय व पाठ्यक्रमों के अध्यापन की पद्धति ही शामिल होगी, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी के रिकार्ड समेत अध्यापक द्वारा प्रतिदिन किये गये वास्तविक कार्य का विवरण भी होगा। इसके साथ–साथ, राज्य सरकार शीघ्र ही हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी लगभग 20 लाख विद्यार्थियों के निरंतर तथा व्यापक मूल्यांकन कार्ड बनाना भी अनिवार्य करेगी। आशा है कि इससे वर्तमान शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तथा आगामी शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों के अध्ययन स्तर के परिणामों में आमूल–चूल सुधार आएगा, जिसका मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाया जाएगा ताकि आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। रैमेडियल टीचिंग और अन्य नई रणनीतियों पर विशेष बल देते हुए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम लागू करना मेरी सरकार का मूलमंत्र रहेगा।

43. मेरी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त, गुणवत्तापरक माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने और राष्ट्रीय शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क योजना के तहत इसके व्यावसायिकरण पर भी बल दिया है। इस सम्बन्ध में प्रयोग सफल रहा है, इसीलिये मेरी सरकार आगामी शैक्षणिक सत्र के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 250 और स्कूलों को शामिल करके लगभग 12,500 और विद्यार्थियों को कवर करना चाहती है। आगामी वर्षों में स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने में व्यापक तेजी लाई जाएगी जिससे 'मेक इन हरियाणा, मेक इन इण्डिया' अभियान को और गति मिलेगी।

44. मेरी सरकार का लक्ष्य मूल्य आधारित शिक्षा उपलब्ध करवाना है, जो परम्पराओं का सम्मान करती हो और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में सहायक हो। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, हरियाणा को पाठ्य–पुस्तकों में संशोधन करने के निर्देश दिये गये हैं तथा सभी पणधारकों के साथ व्यापक विचार–विमर्श के बाद नये पाठ्यक्रम लागू किये जाएंगे। इसके साथ ही, नई 'हरियाणा खेल एवं शारीरिक स्वस्थता नीति–2015' के अनुसार प्रत्येक स्कूल में योग कक्षाएं संचालित की जाएंगी।

45. मेरी सरकार ने सभी स्कूलों, चाहे वह सरकारी हो या निजी, में बड़े पैमाने पर शौचालयों के निर्माण तथा मरम्मत का कार्य शुरू किया है तथा 30 सितम्बर, 2015 तक हरियाणा के प्रत्येक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों के लिए शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। मेरी सरकार, 31 दिसम्बर, 2016 तक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में ड्रयूल डैस्क तथा फर्नीचर उपलब्ध करवाने के लिए भी वचनबद्ध है ताकि हरियाणा के सरकारी स्कूल का कोई भी विद्यार्थी फर्श पर न बैठे।

46. मेरी सरकार ने विद्यार्थियों, जिनमें अधिकतर अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग–ए तथा लड़कियां शामिल हैं, को समय पर प्रोत्साहनों के वितरण पर भी विशेष बल दिया है। हालांकि उनके लाभ के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन देखा गया है कि लाभ समय पर जारी नहीं किए जा रहे हैं। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विद्यार्थियों के सभी लाभ उनके आधार नम्बर से जुड़े बैंक खातों में समय पर जमा हो जाएं। सभी लाभार्थियों के डाटा का डिजिटलाईजेशन 31 मार्च, 2015 से पहले पूरा कर लिया जाएगा।

[श्री अध्यक्ष]

खेल तथा युवा कल्याण

माननीय सभासदो !

47. मेरी सरकार का मानना है कि शारीरिक गतिविधि एवं खेल, हरियाणवी संस्कृति एवं लोकाचार का अभिन्न हिस्सा हैं और स्वास्थ्य, सामाजिक सद्भावना, सांस्कृतिक समृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लाभकारी हैं। मेरी सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जयंती तथा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी, 2015 को हरियाणा खेल एवं शारीरिक स्वस्थता नीति–2015 लागू की है। यह नीति एक ऐसा वातावरण सुनिश्चित करने पर बल देगी जहां 'स्वस्थता का अधिकार' और 'खेल का अधिकार' उचित रूप से साकार हो सके। प्रदेश में योग के प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया जा रहा है। पंचायत एवं खंड स्तर पर 'योग एवं व्यायामशाला' नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। खेलों के प्रोत्साहन के लिए संस्थागत ढ़ाचें को सुदृढ़ किया जा रहा है। खेल आधारभूत संरचना के रखरखाव एवं सृजन के लिए हरियाणा खेल प्राधिकरण, कोचिंग एवं प्रतियोगिताओं के लिए ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक वैधानिक खेल परिषदों, नकद पुरस्कारों एवं उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं के खर्च को पूरा करने के लिए खेल विकास कोष, प्रशिक्षकों, अम्पायरों एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य खेल विकास संस्थान, हरियाणा साहसिक खेल अकादमी और नीति मूल्यांकन पर राज्य खेल संचालन समिति स्थापित की जा रही है।

48. सरकार मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को सुपरिभाषित मानदंड के आधार पर सरकारी विभागों एवं उपक्रमों में रोज़गार का अधिकार देना चाहती है ताकि पक्षपात की कोई संभावना ही न रहे। मेरी सरकार ने प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं एवं प्रतिभागियों की नकद पुरस्कार राशि में वृद्धि की है। ओलम्पिक व पैरालम्पिक खेलों के स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर क्रमशः छः करोड़ रुपये, चार करोड़ रुपये और 2.5 करोड़ रुपये किया गया है। अखाड़ा प्रतियोगिताओं की पुरस्कार राशि में भी भारी वृद्धि की गई है। हरियाणा केसरी पुरस्कार राशि को इकत्तीस हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख 51 हजार रुपये और जिला केसरी पुरस्कार की नाममात्र की 500 रुपये की राशि को बढ़ाकर 5100 रुपये किया गया है।

49. मेरी सरकार के कार्यभार संभालने के उपरांत प्रदेश के खिलाड़ियों की उपलब्धियां आकर्षक रही हैं। हाल ही में, केरल में आयोजित 35वें राष्ट्रीय खेलों में समस्त मैडल तालिका में हरियाणा सभी राज्यों में दूसरे स्थान पर रहा। इन खेलों में हरियाणा के एथलिटस ने नये राष्ट्रीय रिकार्ड भी बनाए हैं। हरियाणा ने राजीव गांधी खेल अभियान के तहत हाल ही में सम्पन्न हुए राष्ट्रीय ग्रामीण खेलों में ओवरआल चैम्पियनशिप जीती है।

50. भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा हरियाणा सरकार के सहयोग से प्रदेश में तीन राष्ट्रीय अकादमियां नामतः राष्ट्रीय बाक्सिंग अकादमी, राष्ट्रीय एथलेटिक्स (थ्रोज) अकादमी और राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी स्थापित की जा रही हैं। इन खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाली ये भारत में अपनी तरह की पहली अकादमियां होंगी। खिलाड़ियों को खेलों

के दौरान चोट लगने और अन्य दुर्घटनाओं के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु एक बीमा योजना विचाराधीन है।

स्वास्थ्य

51. समाज के कमजोर वर्गों को सस्ती एवं बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करवाना मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए अनेक पहल प्रस्तावित हैं, जिनमें नए भवनों का निर्माण, वर्तमान आधारभूत संरचना का उन्नयन, मुफ्त निदान सुविधाओं के साथ गुणवत्तापरक दवाओं की उपलब्धता और चौबीसों घण्टे रैफरल परिवहन सेवाएं शामिल हैं।

52. मेरी सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 नए अस्पताल भवनों, 12 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। जरूरतमन्द लोगों के लिए चौबीसों घण्टे मुफ्त रैफरल परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की 406 एम्बूलेंस के वर्तमान बेड़े में 72 नई एम्बूलेंस शामिल करने की भी योजना है।

53. स्वास्थ्य संस्थानों, विशेषकर ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी एक मुख्य चिंता का विषय है। डॉक्टरों तथा अर्धचिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए विभाग ने डॉक्टरों की वर्तमान नियुक्ति को पहले ही तर्कसंगत बना दिया है। इसके अलावा, डॉक्टरों की भर्ती को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाला गया है और एक विभागीय समिति के माध्यम से एक त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए डॉक्टरों को विशेष प्रोत्साहन भी दिये जा रहे हैं। सेवानिवृत्ति के उपरान्त योग्य डॉक्टरों व विशेषज्ञों की पुनर्नियुक्ति के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डॉक्टरों तथा अर्धचिकित्सकों को अनुबन्ध के आधार पर भर्ती किया जाएगा।

54. मेरी सरकार सभी नागरिकों को समय पर और मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए 427 आवश्यक दवाओं की एक सूची तैयार की गई है, जोकि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएंगी।

55. सभी नागरिकों को त्वरित सेवाएं उपलब्ध करवाना सुशासन की कुंजी है। सरकार ने पंचकूला में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है और आगामी वर्ष में इस परियोजना का समस्त प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवाओं के त्वरित निष्पादन के लिए एक अस्पताल प्रबन्धन सूचना प्रणाली विकसित की जा रही है। मेरी सरकार संस्थाओं और कार्यालयों में मामलों की बेहतर ट्रैकिंग के लिए शीघ्र ही एक फाइल ट्रैकिंग प्रणाली लागू करेगी।

56. मेरी सरकार थैलेसीमिया, हैमोफीलिया से ग्रसित सभी हरियाणा निवासियों को और हैपाटाइटिस–सी से पीड़ित बी.पी.एल. व अनुसूचित जाति के मरीजों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवा रही है। परीक्षण सेवाओं की उपलब्धता को सुदृढ़ करने के लिए राज्य के विभिन्न

[श्री अध्यक्ष]

अस्पतालों में डायलिसिस, एम.आर.आई. और सी.टी. स्कैन सुविधाएं सार्वजनिक–निजी–भागीदारी विधि में उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, औषध परीक्षण के लिए राज्य में चार नई परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। अस्पतालों में विभिन्न उपकरणों के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबन्ध सुनिश्चित किये जाएंगे।

57. मेरी सरकार चिकित्सा की हमारी प्राचीन प्रणाली को पुनर्जीवित करने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसरण में आयुष पर विशेष बल देगी। मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि योग एवं आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए स्वामी रामदेव ने हरियाणा का ब्रांड अम्बेसडर बनने की सहमति दे दी है। सरकार की हरियाणा के हर गांव में योग्य अनुदेशकों एवं उपकरणों सहित योगशालाएं स्थापित करने की योजना है। प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए पंचकूला में आयुष के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया जा रहा है, जिसमें ध्यान केन्द्र, योगशाला और प्रदर्शनी हॉल भी होगा। मेरी सरकार का श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर आयुष विश्वविद्यालय बनाने का इरादा है।

58. मेरी सरकार ने करनाल में कल्पना चावला स्वास्थ्य विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता केन्द्र के तौर पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें सुपर विशेषज्ञता विभागों के अतिरिक्त सभी विशेषज्ञता विभाग होंगे, जिनमें अवर–स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पोस्ट डॉक्टरल कोर्स उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने सभी जिला अस्पतालों के उन्नयन की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत जिला अस्पतालों को चरणबद्ध तरीके से चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने फरीदाबाद के निर्माणाधीन चिकित्सा कालेज को कर्मचारी राज्य बीमा निगम से लेकर अपने अधीन करके चालू करने का भी निर्णय लिया है।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी

59. मेरी सरकार राज्य में बह रही यमुना और घग्गर नदियों के प्राचीन गौरव को बहाल करने के लिए कार्य योजनाएं लागू करेगी। यमुना नदी के साथ लगते 28 शहरों में वर्तमान सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने और नये सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र स्थापित करने की एक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके मार्च, 2017 तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है। घग्गर नदी के साथ लगते 18 कस्बों में सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों के संवर्धन एवं नये सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके दिसम्बर, 2016 तक क्रियान्वयन की सम्भावना है।

60. मेरी सरकार हरियाणा के सभी गांवों और शहरों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है। इस वर्ष 31 मार्च तक पेयजल आपूर्ति में बढ़ोतरी के लिए चिन्हित की गई 534 आबादियों को लाभान्वित किया जाएगा। विशेष घटक उपयोजना के तहत राज्य में अनुसूचित जाति के लगभग 10.36 लाख परिवारों को 200 लिटर टैंक के साथ पानी का मुफ्त कनैक्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है और सभी चिह्नित परिवारों को इसी वर्ष 31 मार्च तक लाभान्वित किया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

61. मेरी सरकार समाज के सभी कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए वचनबद्ध है। इस संबंध में सरकार ने वृद्धों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, बेसहारा बच्चों, निशक्तों, किन्नरों, बौनों तथा ऐसे परिवार, जिनकी केवल लड़कियां हैं, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। इस समय 22.87 लाख से अधिक लाभानुभोगी इन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मेरी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनों की मासिक दरों को पहली जनवरी, 2015 से 1000 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये मासिक किया है और इसमें हर वर्ष पहली जनवरी को 200 रुपये प्रतिमास की वृद्धि की जाएगी और इस प्रकार पहली जनवरी, 2019 को मासिक वित्तीय सहायता की दरें बढ़कर 2000 रुपये प्रतिमास हो जाएंगी।

62. लाभानुभोगियों की पेंशन की राशि को सीधे उनके बैंक खातों में जमा करवाने का भी निर्णय लिया गया है ताकि वे अपनी सुविधानुसार राशि निकलवा सकें। बैंकों के माध्यम से पेंशन के वितरण से न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि लाभपात्रों को अपनी सुविधा अनुसार राशि निकालने की स्वतंत्रता भी होगी। यह कार्य चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आरम्भ में सभी शहरी क्षेत्रों एवं ऐसे गांवों को कवर किया जा रहा है, जिनमें स्थाई बैंक शाखाएं हैं। कुछ क्षेत्रों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए डाकघरों एवं अन्य प्रणालियों की प्रयोग के तौर पर मदद ली जा रही है।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण

63. मेरी सरकार प्रदेश में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों एवं अन्य वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' नामक एक नई योजना प्रस्तावित करती है। इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों, विमुक्त जनजातियों, टपरीवास जातियों और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे समाज के सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी पर 41,000 रुपये दिये जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभानुभोगियों को विवाह होने के 15 दिन के भीतर शगुन की राशि जारी कर दी जाए। शगुन की राशि लड़की के माता–पिता के आधार से जुड़े खाते में सीधे जमा की जाएगी।

64. सामाजिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेरी सरकार का अन्तर्जातीय विवाह योजना के तहत प्रत्येक दम्पति को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को पचास हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।

65. मेरी सरकार ने कमजोर वर्गों को अत्याचार से बचाने के लिए उपायुक्तों को निर्देश दिये हैं कि वह जिला चौकसी एवं निरीक्षण कमेटी की नियमित बैठकें आयोजित करें और अनुसूचित जाति व अनुसूचित कबीले (अत्याचारों से संरक्षण) अधिनियम, 1989 के तहत दोषमुक्ति के सभी मामलों का ध्यान से निरीक्षण एवं समीक्षा करें। यह भी सुनिश्चित करें कि एस.एच.ओ. अनुसूचित जाति व अनुसूचित कबीले (अत्याचारों से संरक्षण) अधिनियम, 1989 के तहत शीघ्र एफ.आई.आर. दर्ज करके त्वरित कार्रवाई करे। गृह विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 'हरसमय' पोर्टल का निरीक्षण किया

[श्री अध्यक्ष]

जाए ताकि इस अधिनियम के तहत संवेदनशील मामलों पर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

महिला एवं बाल विकास

66. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत से 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य समाज की मानसिकता को बदलना और बालिकाओं के जन्म, शिक्षा एवं पोषाहार के प्रति उनके रवैये में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करने के लिए उन्हें संवेदनशील बनाना है। मेरी सरकार ने सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों और समुदाय के लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए कई कदम उठाये हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 वर्ष की आयु तक की लड़कियों के खोले गये बैंक खातों पर भारत सरकार उच्चतम ब्याज दर और आयकर में छूट सुनिश्चित करेगी। मेरी सरकार अभिभावकों को उनकी लड़कियों के सुनहरे भविष्य के लिए बचत करने हेतु इस स्कीम को बढ़ावा देगी। 'बेटी बचाओ जननी सुरक्षा योजना' नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत ऐसी गर्भवती महिलाओं को जो गर्भधारण की पहली तिमाही में पंजीकरण करवाएंगी और जिनकी पहले एक या एक से अधिक बेटियां हैं, उनको 1000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यदि बेटी पैदा होती है तो उन्हें 500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। यह योजना सभी वर्गों के लाभानुभोगियों पर लागू होगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 'बेटी बचाओ आशा प्रोत्साहन योजना' नामक योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत एक या एक से अधिक बेटियों वाली गर्भवती माता का 12 सप्ताह के भीतर पंजीकरण करने वाली आशा वर्कर को 1000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यदि ऐसी पंजीकृत माता बेटी को जन्म देती है तो आशा वर्कर को 500 रुपये का और प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक वर्ष में बालिका का पूर्ण टीकाकरण होने पर आशा वर्कर को 100 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।

67. मेरी सरकार ने 'आपकी बेटी–हमारी बेटी' नामक एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत पहली बेटी के जन्म पर अनुसूचित जाति एवं बीपीएल परिवारों के खाते में 21,000 रुपये और सभी परिवारों की दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये जमा करवाए जाएंगे। परिपक्वता के समय अर्थात् 18 वर्षों के बाद यह राशि लगभग एक लाख रुपये हो जाएगी और व्यस्क लड़कियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज के रवैये में सकारात्मक बदलाव लाना है और यह बालिकाओं के भविष्य के लिए एक ठोस आर्थिक आधार भी उपलब्ध करवाएगी।

68. हरियाणा 'आपकी बेटी–हमारी बेटी' योजना के लिए धनराशि जुटाने के लिए 'हरियाणा कन्या कोष' नामक समर्पित कोष स्थापित करने वाले देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। इस कोष में बालिकाओं के लाभार्थ योगदान देने वाले विभिन्न संगठनों, व्यक्तियों, कम्पनियों से दान प्राप्त किया जाएगा। मेरी सरकार बच्चों, किशोर बालिकाओं तथा महिलाओं में कुपोषण तथा अनीमिया को खत्म करने हेतु पोषण मिशन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्रम कल्याण

69. मेरी सरकार श्रमिकों की आर्थिक जरूरतों को बखूबी समझती है। मेरी सरकार ने इस वर्ष की पहली जनवरी से अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 5812.75 रुपए प्रतिमाह निर्धारित की है। मेरी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी परियोजना के तहत जो श्रमिक कम से कम 50 दिन के लिए कार्यरत रहा हो उसको हरियाणा भवन निर्माण व अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही सभी परियोजनाओं के तहत लाभार्थी बनाने का निर्णय लिया है।

70. उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने श्रम सुधारों की पहल की है। इस सम्बन्ध में श्रमिकों के अधिकारों के साथ समझौता किए बिना विभिन्न श्रम कानूनों के तहत कार्यवाही शुरू की जा रही है।

71. मेरी सरकार का भारत सरकार के मार्गदर्शन में अगस्त, 2015 तक पायलट परियोजना के रूप में हिसार में एक राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है। यह केन्द्र naukri.com तथा monster.com जैसे निजी क्षेत्रों के सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) सघन माडल पर आधारित होगा।

उद्योग एवं वाणिज्य

72. मेरी सरकार प्रक्रियाओं के सरलीकरण, प्रतीक्षा अवधि को कम करने, कारोबार परिवेश के सुधार तथा शासन को और अधिक दक्ष तथा प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से 'कारोबार की सहूलियत' पर विशेष बल देते हुए विकास की गति तथा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही नई उद्योग नीति–2015 लागू करेगी। नीति बनाते समय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों समेत विभिन्न पणधारकों के विचारों पर गौर किया जाएगा। भारत सरकार के 'मेक इन इण्डिया' अभियान के उद्देश्यों को मेरी सरकार के 'मेक इन हरियाणा' कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में उद्योगों का विस्तार किया जाएगा, जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास शामिल है, ताकि इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले। इससे उन जिलों के निवासियों की प्रतिव्यक्ति आय में तुलनात्मक रूप से कम वृद्धि–दर की समस्या का भी समाधान होगा। इस नीति से हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम की प्रक्रियायें और प्रोत्साहन गतिविधियां तर्कसंगत बनेंगी।

73. मेरी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत कुण्डली–मानेसर–पलवल एक्सप्रैस–वे का कार्य फिर से शुरू करवाने की पहल की है। सरकार हरियाणा के लोगों के लाभ के लिए इस परियोजना को समयबद्ध ढंग से और तेजी से पूरा करवाने के लिए हरसम्भव प्रयास करेगी।

74. मेरी सरकार का मानना है कि सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विनिर्माण क्षेत्र का आधार हैं और इनमें रोजगार प्रदान करने की व्यापक क्षमता है। भारत सरकार और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम संगठनों की सहायता से 6 क्लस्टर में सांझा सुविधा केन्द्र स्थापित करने और दूसरी प्रोत्साहन गतिविधियों की प्रक्रिया शुरू की है। इसके अतिरिक्त, दो टूल रूम/प्रौद्योगिकी केन्द्र

[श्री अध्यक्ष]

भी स्थापित किये जा रहे हैं, जिनमें परिष्कृत उपकरणों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ष लगभग 10 हजार प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करेंगे और उन्नत सांचों, डाईयों, औजारों तथा उपकरणों के डिजाइन तथा विकास से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की सहायता करेंगे।

खान एवं भू–विज्ञान

75. मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राज्य में बंद पड़ी खनन गतिविधियों को लघु खनिजों के लिए खोला जाए ताकि जनसाधारण को निर्माण सामग्री तर्कसंगत दरों पर उपलब्ध हो सके। खुली बोली द्वारा दिये गये खनिज ठेकों के लिए पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है तथा वास्तविक खनन कार्य चरणबद्ध तरीके से शीघ्र शुरू होने की संभावना है। मेरी सरकार ने लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए पूर्ववर्ती बड़ी खनन इकाइयों को कम क्षेत्र के खण्डों में बदलने का भी निर्णय लिया है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में, जिला सोनीपत में दो रद्द इकाइयों के क्षेत्र को 14 छोटे खण्डों में परिवर्तित किया गया, जिनमें से 13 खण्डों की नीलामी सफलतापूर्वक पूर्ण की जा चुकी है। यह नीति खनन के लिए भविष्य में उपलब्ध होने वाले क्षेत्रों के लिए भी जारी रखी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

76. मेरी सरकार नागरिक सेवाओं में सुधार लाने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजित करने, डिजिटल अंतर को समाप्त करने तथा राज्य को डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में बदलने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी में दक्षता तथा पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सभी सरकारी कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है। सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक प्रदायगी से राज्य में नागरिकों का कर्मचारियों से भौतिक सम्पर्क कम होने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। प्रदेश में वर्ष 2015–16 के दौरान नागरिकों के लाभ के लिए 150 से अधिक ई–सेवाएं शुरू की जाएंगी। शहरी स्थानीय निकायों ने नागरिकों के लाभ के लिए 11 ई–सेवाएं पहले ही शुरू कर दी हैं। नागरिकों के घर–द्वार पर विभिन्न नागरिक केन्द्रित सेवाओं की प्रदायगी के लिए राज्य में 2500 ग्रामीण तथा शहरी सांझा सेवा केन्द्रों (सी.एस.सी.) की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

77. मेरी सरकार विभागीय सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों तथा आधार डाटाबेस को जोड़ने के लिए एक स्टेट रेजीडेंट डाटाबेस (एस.आर.डी.बी.) बना रही है। स्टेट रेजीडेंट डाटाबेस यू.आई.डी. (आधार) डाटाबेस समेत विभिन्न विभागों के बहुविध डाटाबेस से डाटा का अभिसरण उपलब्ध करवाएगा। भू–स्थानिक परत सरकार को नागरिकों की पहचान तथा सम्पत्तियों के सूचीकरण में सक्षम बनाएगी। विभिन्न सेवा प्रदायगी प्रणालियों में एस.आर.डी.बी. का प्रयोग काउंटर पर सेवाओं की प्रदायगी के लिए किया जाएगा, जबकि विभागों द्वारा नागरिकों से मांगी गई सूचना को कम करके नागरिक सूचना के प्रति संदर्भ तथा शीघ्र सेवा प्रदान करने के लिए एस.आर.डी.बी. का प्रयोग किया जाएगा। स्टेट रेजीडेंट डाटाबेस आधार सक्षम सेवा प्रदायगी के प्रयासों को भी सफल बनाएगा तथा निरन्तर आधार डाटा डालने के माध्यम के रूप में कार्य करेगा।

सरकार ने पेंशनों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, छात्रवृत्तियों तथा मनरेगा को आधार डाटा से जोड़ने का काम पहले ही शुरू कर दिया है।

78. मेरी सरकार पूरे राज्य में राष्ट्रीय आप्टीकल फाइबर नैटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) बिछाकर प्रत्येक नागरिक तक डिजिटल अवसंरचना के लाभों का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सितम्बर, 2015 तक लगभग चार हजार गांवों को 100 एम.बी.पी.एस. इंटरनेट कनैक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।

79 मेरी सरकार स्थाई नामांकन केन्द्रों की स्थापना तथा सचल आधार नामांकन टीमों के प्रयोग के माध्यम से जून 2015 तक राज्य में शत–प्रतिशत आधार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों में बच्चों के साथ–साथ 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को कवर करने के लिए ग्रामवार नामांकन अभियान शुरू किया गया है।

80. सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश को आकर्षित करने के लिए, मेरी सरकार ने फरीदाबाद तथा पलवल जिलों को भारत सरकार द्वारा 'ब्राउनफील्ड एरियाज' के रूप में अधिसूचित करवाने में सफलता प्राप्त की है। 'ब्राउनफील्ड' क्लस्टरों में नई परियोजनाएं स्थापित करने वाले अथवा परियोजनाओं का विस्तार करने वाले उद्यमी 10 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय करों तथा शुल्कों की प्रतिपूर्ति तथा पूंजी उपकरण पर आबकारी व काउंटर वेलिंग ड्यूटी की प्रतिपूर्ति के साथ–साथ 25 प्रतिशत पूंजी अनुदान के पात्र होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहलों को आकर्षित करने के लिए पंचकूला, राई व रोहतक में एस.टी.पी.आई. (सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया) के रूप में 'इन्क्यूबेटर' प्रस्तावित हैं, जबकि गुड़गांव में एक का कार्य पूरा होने वाला है।

81. मेरी सरकार ने पात्र परिवारों में कम से कम एक नागरिक को ई–साक्षर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल, जींद तथा पंचकूला जिलों में यूनिवर्सल डिजिटल साक्षरता पर एक परियोजना शुरू की है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं, आशा कार्यकर्त्ताओं तथा राशन की दुकानों के मालिकों/कामगारों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए अब सभी जिलों में इस परियोजना का विस्तार किया जा रहा है।

शहरी विकास

82. मेरी सरकार सभी पालिका क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को राष्ट्रीय प्राथमिकता का क्षेत्र मानती है। मेरी सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आधारभूत संरचना की गुणवत्ता का उन्नयन राष्ट्रीय राजधानी के समान करने के लिए वचनबद्ध है। इसके अतिरिक्त, सभी पालिका क्षेत्रों में सड़क तंत्र, परिवहन के अन्य साधनों, जलापूर्ति इत्यादि की गुणवत्ता का बड़े पैमाने पर सुधार किया जाएगा।

83. मेरी सरकार 'स्वच्छ हरियाणा -- स्वच्छ भारत अभियान' जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने और स्वच्छता सुविधाओं के मशीनीकरण तथा आधुनिकीकरण और मानव संसाधन के क्षमता सुधार समेत ठोस तथा तरल आधारित प्रबंधन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर हरियाणा में एक समयबद्ध ढंग से सम्पूर्ण स्वच्छता समाधान उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। स्रोत पर कचरे के वर्गीकरण की परिकल्पना मिशन मोड में अपनाई जाएगी। इसके

[श्री अध्यक्ष]

अतिरिक्त, ठोस कचरा प्रबंधन के अंतिम उत्पाद, जोकि इस समय बेकार पड़ा रहता है, का भी सदुपयोग करने का प्रयास किया जाएगा। मेरी सरकार मलिन बस्तियों के निवासियों को पणधारक मानते हुए उनकी भागीदारी से मलिन क्षेत्रों के सुधार तथा पुनर्विकास पर भी बल देती है। सरकार समाज के जरूरतमंद लोगों को सुनियोजित शहरी विकास के बढ़े हुए अवसर मुहैया करवाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

84. मेरी सरकार सही मायनों में निचले स्तर तक शक्तियों के विकेन्द्रीकरण में दृढ़ विश्वास रखती है और इस उद्देश्य से तीसरे स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ विस्तृत परामर्श करेगी। मेरी सरकार शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का स्वीकृत होना एक स्वागत योग्य कदम मानती है।

नगर एवं ग्राम आयोजना, हुडा एवं शहरी सम्पदाएं

85. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों की गतिशीलता में सुधार लाने के लिए प्रदेश में लगभग 28 किलोमीटर लम्बी मैट्रो लाइनें निर्माणाधीन हैं। दिल्ली और बाई.एम.सी.ए. चौक, फरीदाबाद के बीच मैट्रो लिंक जून, 2015 तक चालू हो जाने की संभावना है, जबकि बहादुरगढ़ को अप्रैल, 2016 तक दिल्ली से जोड़ दिये जाने की संभावना है। बाई.एम.सी.ए. चौक से बल्लबगढ़ तक मैट्रो लिंक के विस्तार करने का कार्य आबंटित किया जा चुका है। मेरी सरकार ने सैक्टर–21, द्वारका और इफको चौक, गुड़गांव के बीच मैट्रो लिंक के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और नरेला से कुण्डली तक मैट्रो लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के मामले भारत सरकार के साथ उठाए हैं। सूरजकुंड से शुरू होकर उत्तरी फरीदाबाद के आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरने वाली, कुतुब मीनार और बदरपुर स्टेशनों के बीच, प्रस्तावित मैट्रो लाइन में तेजी लाने तथा इसे दिल्ली–फरीदाबाद मार्ग पर स्थित उचित मैट्रो स्टेशन से जोड़ने के लिए भी भारत सरकार से आग्रह किया गया है।

86. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण छोटे तथा मध्यम शहरों में आवासीय सैक्टरों के विकास और समूह आवास योजनाओं तथा समेकित वाणिज्यिक परिसरों के लिए भूमि के सघन उपयोग पर विशेष बल देगा। मेरी सरकार शहरी विकास में पारदर्शिता को बढ़ावा देने तथा योजना एवं आधारभूत संरचना कार्यों के निष्पादन में व्याप्त कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से कई नीतिगत उपाय करना चाहती है। राज्य के शहरी तथा शहरों के समान क्षेत्रों को शासित करने वाले विभिन्न वैधानिक नियमों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक 'व्यापक शहरी आवास अधिनियम' बनाया जाएगा।

87. मेरी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा कम आय वर्ग वाले परिवारों के लिए, विशेषकर राज्य के मध्यम तथा कम संभावना वाले क्षेत्रों में, सस्ते आवास तथा प्लाट उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। ऐसे क्षेत्रों में लाइसेंस प्रदान करने हेतु क्षेत्र नियमों की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप–समिति गठित की गई है। भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमतियां तथा लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा परेशानी मुक्त बनाया जा रहा है। सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने के बाद भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने के आग्रहों के निपटान के लिए एक पारदर्शी, निष्पक्ष तथा न्यायसंगत नीति अपनाएगी।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)

88. सड़कों पर तेजी से बढ़ते वाहनों के यातायात के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता का सड़क तंत्र उपलब्ध करवाना मेरी सरकार का प्रयास रहेगा। मेरी सरकार का आगामी तीन वर्षों में जिला मुख्यालयों के बीच कम से कम 10 मीटर चौड़ी एकल संयोजिता उपलब्ध करवाने तथा आगामी पांच वर्षों में न्यूनतम 5.5 मीटर चौड़ाई की ग्रामीण सड़कों के उन्नयन का भी प्रस्ताव है। मेरी सरकार प्रदेश से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को चारमार्गी बनाने का मामला भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ उठाएगी। वाहनों के आवागमन को सुगम बनाने तथा मानव रहित रेलवे फाटकों के कारण दुर्घटनाओं तथा दुखद मानवीय हानि को रोकने के लिए एक चरणबद्ध ढंग से आर.ओ.बी. व आर.यू.बी. के निर्माण तथा मानव रहित रेलवे फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त करने का मामला रेल मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

89. मेरी सरकार ने पश्चिमी यमुना नहर के साथ-साथ यमुनानगर से बवाना तक 2/4 लेन के कॉरिडोर के प्रस्तावित विकास हेतु सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। सरकार ने राज्य में 392 किलोमीटर लम्बे 10 सड़क-खण्डों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का मामला भी भारत सरकार के साथ उठाया है।

90. इस सम्मानित सदन को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय रेलवे ने मथुरा-पलवल (चौथी लाइन-80 किलोमीटर), बाईपास अम्बाला (मोहड़ी-सम्मू) (7 किलोमीटर) तथा रोहतक-भिवानी (48 किलोमीटर) के लिए एक हजार चौहत्तर करोड़ रुपये की लागत की नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। रेल मंत्रालय ने फर्रूखनगर-चरखी दादरी वाया झज्जर (65 किलोमीटर) तथा हिसार व नरवाना के बीच नई रेल लाइन (65 किलोमीटर) के सर्वेक्षण के कार्य को भी स्वीकृति दी है। भारतीय रेलवे ने रोहतक-भिवानी लाइन (48 किलोमीटर) तथा हिसार-रतनगढ़ कनकवाल और मण्डी डबवाली-ढाबां लाइन (हिसार-बठिण्डा-सूरतगढ़-फलोदी-जोधपुर-भिल्डी का हिस्सा-143 किलोमीटर) के विद्युतीकरण को भी स्वीकृति प्रदान की है। भारतीय रेलवे ने 27 नये आर.ओ.बी. व आर.यू.बी. को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिनसे लेवल क्रॉसिंग को बंद करने तथा यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा में मदद मिलेगी।

91. मेरी सरकार आगामी वर्ष में पंचकूला तथा गुड़गांव में नये विश्राम गृहों का निर्माण करवाएगी तथा नई दिल्ली में हरियाणा भवन के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करेगी।

पर्यटन तथा संस्कृति

92. मेरी सरकार की पानीपत-कुरुक्षेत्र-पिंजौर सर्किट विकसित करने की योजना है, जिसके लिए 15.45 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। इसके अन्तर्गत करवाये जा रहे मुख्य कार्यों में ब्रह्मसरोवर में 'ध्यान व योग हाल' का निर्माण, बाणगंगा तीर्थ, नरकातारी का विकास, अर्जुन रथ तथा पुरुषोत्तम बाग के आसपास के क्षेत्र में प्रदीपन की व्यवस्था करना तथा पेहोवा में सरस्वती के तट के साथ-साथ पुराने मंदिरों एवं स्मारकों का विकास एवं उन्नयन शामिल है। धारामंडल, पिंजौर में बावली का विकास कार्य, भगवान श्रीकृष्ण की विराट-स्वरूप प्रतिमा की स्थापना, ब्रह्मसरोवर के पवित्र जल का पुनर्चक्रण और दो संगीतमय फव्वारे लगाने का कार्य भी किया जाएगा। करनाल के कर्ण ताल जैसे धार्मिक-ऐतिहासिक महत्व के स्थलों

[श्री अध्यक्ष]

के विकास की परियोजना भारत सरकार को भेजी जाएगी, जिस पर आठ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक–निजी भागीदारी आधार पर 24 करोड़ रुपये की लागत से मल्लाह (जिला पंचकूला) में रिजॉर्ट के विकास की परियोजना तैयार की जा रही है, जिसमें से 3.80 करोड़ रुपये सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे।

93. मेरी सरकार यमुनानगर–पंचकूला–पौंटा साहिब सर्किट के विकास के लिए जिला यमुनानगर के छछरौली में विरासत एवं धार्मिक केन्द्र, कलेसर में कैम्पिंग रिजॉर्ट और कालेश्वर महादेव मन्दिर से संबंधित कार्य कर रही है। सढ़ौरा में लक्ष्मी नारायण मंदिर एवं 'सरस्वती तीर्थ' मंदिर परिसर और पंचकूला में मनसा देवी परिसर का विकास भी किया जा रहा है और यह कार्य आगामी वित्त वर्ष में पूरा हो जाएगा।

94. मेरी सरकार द्वारा 'सरस्वती हैरीटेज विकास बोर्ड' की स्थापना की जा रही है, जिससे सरस्वती हैरीटेज के पुनरोद्धार व संरक्षण में सहायता तथा अनुसन्धान में मदद मिलेगी। सरस्वती नदी के पुनरोद्धार के लिये एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसमें जलमार्गों का विकास, सड़कों व पार्कों का निर्माण तथा सरस्वती नदी के अस्तित्व के सम्बन्ध में जनसाधारण को संवेदनशील बनाने के लिये व्यापक प्रचार अभियान तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शामिल होगा।

95. मेरी सरकार द्वारा नारनौल–महेन्द्रगढ़–माधोगढ़ नामक एक नया पर्यटन सर्किट भी प्रस्तावित है, जिसके लिए 50.40 करोड़ रुपये की एक परियोजना स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजी गई है। इस सर्किट के तहत, महेन्द्रगढ़ तथा माधोगढ़ किलों की मरम्मत एवं प्रदीपन तथा छाता राय बाल मुकंद के पुनरोद्धार का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिला फरीदाबाद में बड़खल तथा सूरजकुण्ड झीलों के जीर्णोद्धार की संभावना का पता लगाया जाएगा तथा तदानुसार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कदम उठाये जाएंगे।

आबकारी एवं कराधान

96. मेरी सरकार राज्य के राजस्व संग्रहण में तेजी लाने हेतु विभिन्न कदम उठाने के लिए वचनबद्ध है। सरकार विभाग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता व दक्षता सुनिश्चित करने तथा भ्रष्टाचार–मुक्त व कार्य करने के लिये बेहतर माहौल उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक कम्प्यूटरीकरण योजना क्रियान्वित कर रही है। सभी पंजीकृत डीलरों को वास्तविक समय आधारित ऑनलाइन ई–रजिस्ट्रेशन, ई–रिफण्ड, ई–पेमैंट, ई–रिकवरीज, ई–फार्म जैसी ई–सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 26 ई–मॉडयूल उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे डीलरों तथा विभाग के बीच परेशानी मुक्त संचार भी हो सकेगा, जिससे निष्पक्ष व वस्तुपरक आंकलन तथा कर चोरी के मामलों को कम करने में भी मदद मिलेगी। इस वर्ष से शराब के ठेकों के आवंटन हेतु ई–टैण्डरिंग भी शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अप्रैल, 2015 में डीलरों को ई–रजिस्ट्रेशन, ई–पेमैंट तथा रिटर्न की ई–फाइलिंग सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मेरी सरकार पहली अप्रैल, 2016 से प्रदेश में वस्तु तथा सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू करने के लिए वचनबद्ध है। इस दूरगामी कर सुधार प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतू जी.एस.टी. पद्धति के सम्बन्ध में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कानून व्यवस्था

97. मेरी सरकार समाज के सभी वर्गों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों तथा कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। पहली जनवरी, 2015 को हरियाणा पुलिस का नागरिक पोर्टल 'हरसमय 24X7' शुरू किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से शिकायतों, गुमशुदा सम्पत्तियों का पंजीकरण, आरटीआई अनुरोध, होटल ग्राहक पंजीकरण, साइबर कैफे पंजीकरण जैसी विभिन्न नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। विभिन्न चरणों में इनकी स्थिति के एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं। हरियाणा पुलिस द्वारा लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान तथा जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। हरियाणा पुलिस की गतिशीलता, दक्षता तथा दृश्यता में सुधार के लिए पांच सौ मोटरसाइकिलें उपलब्ध करवाई गई हैं। मेरी सरकार द्वारा वैज्ञानिक जांच में सुधार लाने के लिए दो और फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशालाएं भी स्थापित करने का प्रस्ताव है। युवाओं को नशीली दवाओं की लत से बचाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

98. मेरी सरकार विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है। समानता, निष्पक्षता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बेहतरीन प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। यातायात अवसंरचना तथा यातायात शिक्षा में सुधार के लिए एक सड़क सुरक्षा कोष बनाया जाएगा। इससे सभी सड़क प्रयोक्ताओं को सुरक्षित सफर में सहायता मिलेगी।

तकनीकी शिक्षा

99. मेरी सरकार युवाओं की रोजगार सम्भावनाओं और क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें दक्षता प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने हेतु हरियाणा कौशल विकास मिशन स्थापित कर रही है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा इसकी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए हरियाणा नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

100. मेरी सरकार ने राज्य में भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय की समेकित कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत सात जिलों मानतः पानीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, अम्बाला और रोहतक में वस्त्र, कताई, बुनाई और हथकरघा सम्बन्धी पाठ्यक्रम शुरू किये जाएंगे। मेरी सरकार उद्योगों के परामर्श से अध्ययन कार्यक्रम और पाठ्यक्रम शुरू करेगी। उद्योगों को, मानव-अमला को प्रशिक्षण देने वाले विभागों के साथ नियमित संवाद स्थापित करने तथा मशीनों व उपकरणों के उन्नयन के लिए सहयोग देने तथा निपुण संकाय उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

101. मेरी सरकार राज्य के तकनीकी शिक्षा संस्थानों की अध्यापन आधारभूत संरचना की गुणवत्ता, तकनीकी शिक्षा संस्थानों की ब्रांडिंग और स्नातकों की रोजगारपरकता में सुधार लाने के लिए कदम उठाएगी। तकनीकी शिक्षा संस्थानों को राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड से उनके कार्यक्रमों की मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[श्री अध्यक्ष]

परिवहन

102. मेरी सरकार द्वारा दक्ष, पर्याप्त, सस्ती और पूर्ण रूप से समन्वित जन परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए, हरियाणा में अंदरूनी राज्य मार्गों पर निजी संचालकों को परमिट देने के लिए एक नई स्टेज कैरिज परमिट स्कीम तैयार की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य विशेषकर परिवहन सेवा वंचित व अधिवंचित ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन सेवाओं की मांग और आपूर्ति के अंतर को समाप्त करना है। यह योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी। यह योजना हरियाणा में अन्य राज्यों के वाहनों के असुरक्षित तथा अवैध संचालन को रोकने में बड़ी सहायक होगी तथा राज्य के लोगों को सुरक्षित, भरोसेमंद और वैध परिवहन सेवा उपलब्ध करवाएगी। इसके साथ–साथ, हरियाणा राज्य परिवहन के समर्पित कर्मचारियों द्वारा सुसंचालित बस बेड़े को बढ़ाकर, हरियाणा के यात्रियों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कटिबद्ध है।

माननीय सभासदो !

103. हमारी विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। हरियाणा के नागरिक और निवासी, विशेषकर गरीब और समाज के कमजोर वर्गों के लोग, अपनी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस सदन की ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। मेरी सरकार समाज के कमजोर वर्गों की इन आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नागरिक–हितैषी और प्रगतिशील कानून लागू करना सुनिश्चित करने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ेगी। मेरी सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित करने तथा इसकी भौगोलिक और जनसांख्यिकीय परिस्थितियों में सन्तुलित विकास हासिल करने के लिये समर्पित है। मैं इस सम्मानित सदन के सभी सदस्यों से जनसेवा की सच्ची भावना, आपसी सहयोग और विश्वास से अपने दायित्व का निर्वहन करने का आह्वान करता हूँ। अपनी ऊर्जा का प्रयोग सांझा हितों के लिए करते हुए हमें हरियाणा को नई बुलन्दियों पर ले जाने और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहियें, जहां प्रत्येक नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा हो और उसके मन में किसी प्रकार का भय न हो।

वन्दे मातरम!

जय हिन्द!

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन के बाद और इस अधिवेशन के शुरू होने से पहले कई माननीय साथी इस संसार को छोड़कर चले गये हैं, उनके बारे में शोक प्रस्ताव इस प्रकार से है :–

श्री हुकम सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री हुकम सिंह के 26 फरवरी, 2015 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 28 फरवरी, 1926 को हुआ। वे 1977, 1982 तथा 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे 1979 तथा 1987–90 के दौरान मंत्री रहे। उन्हें मन्त्रिमंडल में रहते हुए कृषि, शिक्षा, विकास एवं पंचायत, तथा आबकारी एवं कराधान जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ।

उन्होंने 1990–91 के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप–मुख्यमंत्री पदों को सुशोभित किया। वे बड़े मृदुभाषी और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

चौधरी सुल्तान सिंह, त्रिपुरा के भूतपूर्व राज्यपाल

यह सदन त्रिपुरा के भूतपूर्व राज्यपाल चौधरी सुल्तान सिंह के 16 दिसम्बर, 2014 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 19 सितम्बर, 1923 को हुआ। वे 1970 से 1986 तक लगातार तीन बार राज्य सभा के सदस्य चुने गये। वे दस वर्ष तक पंजाब विधान परिषद् के सदस्य भी रहे। उन्होंने 1989–90 के दौरान त्रिपुरा के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। वे सादगी व ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्रीमती प्रसन्नी देवी, हरियाणा की भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा की भूतपूर्व मंत्री श्रीमती प्रसन्नी देवी के 13 जनवरी, 2015 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 10 अगस्त, 1931 को हुआ। वे 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा तथा 1967, 1968, 1972, 1982 तथा 2005 में हरियाणा विधान सभा की सदस्या चुनी गईं। वे 1972–77 के दौरान राज्य मंत्री तथा 1982–87 के दौरान मंत्री रहीं।

उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए शिक्षा, परिवहन, आबकारी एवं कराधान, स्वास्थ्य, जन–स्वास्थ्य तथा कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने महिलाओं विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया।

[श्री मनोहर लाल]

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री मनफूल सिंह, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मनफूल सिंह के 14 फरवरी, 2015 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 25 जनवरी, 1927 को हुआ। वे 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन सभी श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री चन्द्र सिंह, गांव शाहपुर, जिला पानीपत।
2. श्री रिसाल सिंह, गांव गांगोली, जिला जींद।
3. श्री चतुर्भुज शर्मा, गांव अमरपुरा, जिला महेन्द्रगढ़।
4. श्री मनफूल, गांव पूठर, जिला पानीपत।
5. श्री धन्दन सिंह, गांव बांडाहेड़ी, जिला हिसार।
6. श्री रामजीलाल, गांव चूलीकलां, जिला हिसार।
7. श्री देवदत्त राकेश, अम्बाला कैंट।
8. श्री गुलाबराय, गांव डहीना, जिला रेवाड़ी।
9. श्री राम सिंह, गांव चनारथल, जिला कुरुक्षेत्र।
10. श्री धुरेन्द्र सिंह, गांव लुखी, जिला रेवाड़ी।
11. श्री फतेह सिंह, फरीदाबाद।
12. श्री त्रिलोकीनाथ, गांव जुलाना, जिला जींद।

तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से त्रिपुरा के भूतपूर्व राज्यपाल चौधरी सुल्तान सिंह के 16 दिसम्बर, 2014 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 19 सितम्बर, 1923 को हुआ। वे 1970 से 1986 तक लगातार तीन बार राज्य सभा के सदस्य चुने गये। वे दस वर्ष तक पंजाब विधान परिषद् के सदस्य भी रहे। उन्होंने 1989-90 के दौरान त्रिपुरा के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। वे सादगी व ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से हरियाणा की भूतपूर्व मंत्री श्रीमती प्रसन्नी देवी के 13 जनवरी, 2015 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 10 अगस्त, 1931 को हुआ। वे 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा तथा 1967, 1968, 1972, 1982 तथा 2005 में हरियाणा विधान सभा की सदस्या चुनी गईं। वे 1972-77 के दौरान राज्य मंत्री तथा 1982-87 के दौरान मंत्री रहीं। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए शिक्षा, परिवहन, आबकारी एवं कराधान, स्वास्थ्य, जन-स्वास्थ्य तथा कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने महिलाओं विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मनफूल सिंह के 14 फरवरी, 2015 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 25 जनवरी, 1927 को हुआ। वे 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन सभी श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार है :- श्री चन्द्र सिंह, गांव शाहपुर, जिला पानीपत, श्री रिसाल सिंह, गांव गांगोली, जिला जींद, श्री चतुर्भुज शर्मा, गांव अमरपुरा, जिला महेन्द्रगढ़, श्री मनफूल,गांव पूठर, जिला पानीपत, श्री चन्दन सिंह, गांव बोडाहेड़ी, जिला हिसार, श्री शामजीलाल, गांव चूलीकलां, जिला हिसार, श्री देवदत्त राकेश, अम्बाला कैंट, श्री गुलाबराय, गांव डहीना, जिला रेवाड़ी, श्री राम सिंह, गांव चरनारथल, जिला

[श्री जसविन्द्र सिंह संधू]

कुरूक्षेत्र, श्री धुरेन्द्र सिंह, गांव लुखी, जिला रेवाड़ी, श्री फतेह सिंह, फरीदाबाद, श्री त्रिलोकीनाथ, गांव जुलाना, जिला जींद। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से इन महान् स्वतंत्रता सेनानियों को शत्-शत् नमन करता हूँ और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन सभी वीर सैनिकों को अश्रुपूर्ण नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार है :- उप-निरीक्षक चरण सिंह, गांव भोतवास भोंदू, जिला रेवाड़ी, सहायक उप-निरीक्षक रामनिवास, गांव नेहरूगढ़, जिला रेवाड़ी, सूबेदार मेजर सतपाल सिंह, गांव जड़ौला, जिला कैथल, सूबेदार नेकी राम, गांव बेरी, जिला महेन्द्रगढ़, मुख्य नाविक अधिकारी विजय कुमार गांव मंडोला, जिला भिवानी, हवलदार पवन कुमार, गांव टटौंठा, जिला कैथल, नायक अजीत सिंह, गांव सिलारपुर, जिला महेन्द्रगढ़, नायक सलेन्द्र कुमार, गांव लाधूवास, जिला रेवाड़ी, लांस नायक कुलदीप कुमार, गांव बुल्लाखेड़ी, जिला जींद, सिपाही नवल किशोर, गांव सीहा, जिला रेवाड़ी, सिपाही सोनू, गांव गामड़ा, जिला हिसार, सिपाही साहब सिंह, गांव जाजी, जिला सोनीपत। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्-शत् नमन करता हूँ और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से 26 जनवरी, 2015 को जिला हिसार के गांव सरसोद के पास एक वाहन के रेलगाड़ी की चपेट में आने से मारे गये 13 लोगों के दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से केन्द्रीय राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह की बुआ श्रीमती गुणवंती देवी, स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री श्री अनिल विज की चाची श्रीमती बिमला देवी, विधायक श्रीकृष्ण हुड्डा की भाभी श्रीमती चन्द्रावली व भतीजे श्री राजबीर, विधायक श्री परमिन्द्र ढुल की माता श्रीमती नच्छत्र कौर, विधायक श्री सुभाष सुधा की माता श्रीमती करतार देवी, विधायक श्री टेकचन्द शर्मा की बहन श्रीमती बतना देवी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री हुकम सिंह की पत्नी श्रीमती शांति देवी, पूर्व सांसद श्री आत्मा सिंह गिल की पत्नी श्रीमती सुरजीत कौर, पूर्व मंत्री प्रो. छत्तरपाल सिंह के पिता चौधरी हुकम सिंह, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री जलेब खां के भाई श्री शेर मोहम्मद, पूर्व विधायक श्री बलबीर सिंह की पत्नी श्रीमती कमल देव, पूर्व विधायक श्री चन्द्र भाटिया की माता श्रीमती कान्ता भाटिया, विधायक श्री मक्खन लाल सिंगला की भाभी श्रीमती विद्या देवी के 7 मार्च, 2015 को हुए दु:खद निधन तथा श्रीमती सुषमा स्वराज के मामा के लड़के पंडित फूलचन्द सुमन के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन सभी वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन को बलिदान कर दिया।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. उप–निरीक्षक चरण सिंह, गांव भोतबास भोंदू, जिला रेवाड़ी।
2. सहायक उप–निरीक्षक रामनिवास, गांव नेहरूगढ़, जिला रेवाड़ी।
3. सूबेदार मेजर सतपाल सिंह, गांव जड़ौला, जिला कैथल।
4. सूबेदार नेकी राम, गांव बेरी, जिला महेन्द्रगढ़।
5. मुख्य नाविक अधिकारी विजय कुमार, गांव मंडोला, जिला भिवानी।
6. हवलदार पवन कुमार, गांव दयौंठा, जिला कैथल।
7. नायक अजीत सिंह, गांव सिलारपुर, जिला महेन्द्रगढ़
8. नायक सतेन्द्र कुमार, गांव लाधूवास, जिला रेवाड़ी।
9. लांस नायक कुलदीप कुमार, गांव बुल्लाखेड़ी, जिला जींद।
10. सिपाही नवल किशोर, गांव सीहा, जिला रेवाड़ी।
11. सिपाही मोनू, गांव गामड़ा, जिला हिसार।
12. सिपाही साहब सिंह, गांव जाजी, जिला सोनीपत।

यह सदन् इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

रेल हादसा

यह सदन 26 जनवरी, 2015 को जिला हिसार के गांव सरसौद के पास एक वाहन के रेलगाड़ी की चपेट में आने से मारे गये 13 लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[श्री मनोहर लाल]

यह सदन केन्द्रीय राज्य मंत्री, राव इन्द्रजीत सिंह की बुआ, श्रीमती गुणवंती देवी;

स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री, श्री अनिल विज की चाची, श्रीमती बिमला देवी;

विधायक, श्री श्रीकृष्ण हुड्डा की भाभी, श्रीमती चन्द्रावली व भतीजे श्री राजबीर;

विधायक, श्री परमिन्द्र ढुल की माता, श्रीमती नच्छत्र कौर;

विधायक, श्री सुभाष सुधा की माता, श्रीमती करतार देवी;

विधायक, श्री टेकचन्द शर्मा की बहन, श्रीमती बतना देवी;

पूर्व मुख्यमंत्री, श्री हुकम सिंह की पत्नी, श्रीमती शांति देवी;

पूर्व सांसद, श्री आत्मा सिंह गिल की पत्नी, श्रीमती सुरजीत कौर;

पूर्व मंत्री, प्रो. छत्तरपाल सिंह के पिता, चौधरी हुकम सिंह;

पूर्व मुख्य संसदीय सचिव, श्री जलेब खां के भाई, श्री शेर मोहम्मद;

पूर्व विधायक, श्री बलबीर सिंह की पत्नी, श्रीमती कमल देव; तथा

पूर्व विधायक, श्री चन्द्र भाटिया की माता, श्रीमती कान्ता भाटिया; के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन स्वतंत्रता सेनानी 98 वर्षीय चौधरी पूर्ण सिंह दलाल, गांव जाखोदा, जिला झज्जर के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है तथा दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन केन्द्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के मामा के लड़के पंडित फूलचन्द सुमन, गांव मांदी, जिला महेन्द्रगढ़ के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उन्होंने 1977 में श्रीमती सुषमा स्वराज के राजनीतिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया था। वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी रहे। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

14.00 बजे **श्री जसविन्द्र सिंह संधू (पेहवा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री हुकम सिंह के 26 फरवरी, 2015 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 28 फरवरी, 1926 को हुआ। वे 1977, 1982 तथा 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे 1979 तथा 1987-90 के दौरान मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए कृषि, शिक्षा, विकास एवं पंचायत, तथा आबकारी एवं कराधान जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। उन्होंने 1990-91 के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री पदों को सुशोभित किया। वे बड़े मृदुभाषी और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के सदस्यों की

Smt. Kiran Choudhry (Tosham) : Speaker Sir, this House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of the former Chief Minister of Haryana Shri Hukam Singh ji, who died on February 26, 2015. He was the Chief Minister of Haryana for a brief time of 1990 to 1991 as a member of Janta Dal. A farmer turned trade unionist Hukam Singh ji yielded considerable influence and his own assembly constituency and birth place of Charkhi Dadri in Bhiwani District. He had been elected from the same seat thrice before 1990. Later he found himself catapulted to the forefront of Haryana politics and thereby on the national seen again in 1990. He was a seasoned politician who always work for the welfare of the weak and downtrodden. He was a great human being and a devoted social worker and he always stood out because of his simplicity and humble demeanor. He was loved by one and all. In his death Haryana has lost a great leader and infact an era has come to an end.

Chaudhary Sultan Singh ji, former Governor of Tripura for him also this House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of the Governor of Tripura on December 16, 2014. He was born on September 19, 1923. He was the Member of the Punjab Legislative Council and later the Rajya Sabha. He was the 5th Governor of the State of Tripura serving from 1989 to 1990 and he died at Ram Manohar Lohia Hospital in Delhi following a long illness. In his death Sir, Haryana has lost an able Administrator. He was an efficient leader who will be remembered for his long and excellent public service and this House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

This House also places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of former Minister of Haryana Smt. Parsanni Devi ji on January 13, 2015. She was a senior Congress leader and former Minister who passed away at New Delhi in Apollo Hospital. She was an MLA for six times and was first elected as MLA in 1962 in Joint Punjab. Thereafter she was elected from different assembly seats in Haryana in 1967, 1968, 1972, 1982 and 2005. She was also the president of the State Women Wing of the Congress Party. While she headed the party's women wing in Karnal in 1959 she rose to the post of Convener of Women wing of the State party body also. She remained an MLA for 15 years in a row of Punjab and Haryana Vidhan Sabha and was the Education, Transport, Excise and Taxation Minister from 1973 to 1977 and Public Health and Agriculture Minister from 1982 to 1987. She remained the General Secretary of the All-India Women Congress from 2000-2002.

In her death, the State has lost a seasoned legislator and an able administrator. This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Manphool Singh, former Member of Joint Punjab Legislative Assembly, on February 14, 2015.

He was born on January 25, 1927. He was elected to the Joint Punjab Legislative Assembly in 1962. He was a committed social worker and very well-known about it.

[Smt. Kiran Chaudhry]

In his death, the State has lot an astute legislator. This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of our revered freedom fighters who gave their whole lives in the service of the country so that we can live a free life. This House salutes these great freedom fighters who played a significant role in achieving the freedom of our country. These great freedom fighters are:

1. Shri Chander Singh, Village Shahpur, District Panipat.
2. Shri Rishal Singh, Village Gangoli, District Jind.
3. Shri Chaturbhuj Sharma, Village Amarpura, District Mahendragarh.
4. Shri Manphool, Village Puthar, District Panipat
5. Shri Chandan Singh, Village Bandaheri, District Hisar.
6. Shri Ramjilal, Village Chulikalan, District Hisar.
7. Shri Devdutt Rakesh, Ambala Cantt.
8. Shri Gulab Rai, Village Dahina, District Rewari.
9. Shri Ram Singh. Village Chanarthal, District Kurukshetra.
10. Shri Dhurender Singh, Village Lookhi, District Rewari.
11. Shri Fateh Singh, Faridabad.
12. Shri Trilokinath, Village Julana, District Jind.

This House salutes these great freedom fighters and resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

This House bids tearful adieu to those brave soldiers who showed indomitable courage while safeguarding the unity and integrity of our motherland. The jawans of our country are our strength and are our real heroes. They offered supreme sacrifice of their lives in the service of the nation. These great martyrs are:

1. Sub Inspector Charan Singh, Village Bahotwas Bhondu, District Rewari.
2. Assistant Sub Inspector Ramniwas, Village Nehru Garh, District Rewari.
3. Subedar Major Satpal Singh, Village Jadola, District Kaithal.
4. Subedar Neki Ram, Village Beri, District Mahendragarh.
5. Chief Petty Officer Vijay Kumar, Village Mandola, District Bhiwani.
6. Havildar Pawan Kumar, Village Teontha, District Kaithal.

7. Naik Ajit Singh, Village Silarpur, District Mahendragarh.

8. Naik Satender Kumar, Village Ladhuwas, District Rewari.

9. Lance Naik Kuldeep Kumar, Village Bullakheri, District Jind.

10. Sepoy Nawal Kishor, Village Siha, District Rewari.

11. Sepoy Monu, Village Gamra, District Hisar.

12. Sepoy Sahab Singh, Village Jaji, District Sonipat.

This House salutes these great soldiers for their supreme sacrifices and resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad and untimely demise of those thirteen persons including four children when a vehicle collided with the Dhuri-Sirsa passenger train at an unmanned railway crossing in village Sarsod of Hisar on January 26, 2015. Sir, through you, I would like to convey to the Government that the Government must ensure to covert all unmanned railway crossings into underbridges to avoid such tragic accidents.

This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of:-

Smt. Gunwanti Devi, aunt of Rao Inderjit Singh, Union Minister of State;

Smt. Bimla Devi, aunt of Shri Anil Vij, Health & Sports Minister;

Smt. Chandrawali, sister-in-law and Shri Rajbir, a nephew of Shri Srikrishan Hooda, MLA;

Smt. Nachhatar Kaur, mother of Shri Parmender Dhull, MLA;

Smt. Kartar Devi, mother of Shri Subhash Sudha, MLA;

Smt. Batna Devi, sister of Tek Chand Sharma, MLA;

Smt. Shanti Devi, wife of Shri Hukam Singh, Ex-CM;

Smt. Surjit Kaur, wife of Shri Atma Singh Gill, Ex-MP;

Chaudhary Hukam Singh, father of Prof. Chhaterpal Singh, Ex-Minister;

Shri Sher Mohammad, brother of Shri Jaleb Khan, Ex-CPS;

Smt. Kamal Dev, wife of Shri Balbir Singh, Ex-MLA; and

Smt. Kanta Bhatia, mother of Shri Chander Bhatia, Ex-MLA.

This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

Thank you, Sir.

श्री कुलदीप बिश्नोई (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है। मैं उसका समर्थन करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें व शोकाकुल परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति दे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है मैं भी उसके समर्थन में हूँ। चौधरी हुक्म सिंह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे व हमारे पड़ोसी रहे। बहुत ही गरीबी से उन्होंने राजनीति शुरु की। वे समाजवादी आंदोलन का हिस्सा थे और वे हाली पाली की राजनीति करते थे। चौधरी मनी राम बागड़ी के नेतृत्व में उन्होंने जो एस.सी. में सबसे गरीब समाज बावरिया समाज होता है उनके लिए लड़ाई लड़ी। उनके निधन से हरियाणा में गरीब आदमी के एक हमदर्द इस दुनिया से चले गए हैं। चौधरी सुल्तान सिंह कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे और त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे थे। उनके निधन से हरियाणा की राजनीति में खलल हुआ है। इसी तरह से हरियाणा की भूतपूर्व मंत्री श्रीमती प्रसन्नी देवी के 13 जनवरी, 2015 को हुये दु:खद निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ। वे पांच बार विधायक व दो बार मंत्री रही। वे अलग-अलग क्षेत्रों से कई बार विधायक रहीं वे एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थीं।

इसी तरह से संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मनफूल सिंह के 14 फरवरी, 2015 को हुए दु:खद निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। इसी तरह से हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों को भी शत् शत् नमन करता हूँ।

इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :

श्री चंद्र सिंह, गांव शाहपुर जिला पानीपत, श्री रिसाल सिंह, गांव गांगोली, जिला जींद, श्री चतुर्भुज शर्मा, गांव अगरपुरा, जिला महेन्द्रगढ़, श्री मनफल, गांव पूठर, जिला पानीपत, श्री चन्दन सिंह, गांव बांडाहेड़ी, जिला हिसार, श्री रामजीलाल, गांव चूलीकंला, जिला हिसार, श्री देवदत्त राकेश, अम्बाला कैंट, श्री गुलाबराय, गांव डहीना, जिला रेवाड़ी, श्री राम सिंह, गांव चरनारथल, जिला कुरूक्षेत्र, श्री धुरेन्द्र सिंह, गांव लुखी, जिला रेवाड़ी, श्री फतेह सिंह, फरीदाबाद, श्री त्रिलोकीनाथ, गांव जुलाना, जिला जींद। मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से इन महान् स्वतंत्रता सेनानियों को शत्-शत् नमन करता हूँ और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। इसी तरह से हरियाणा के शहीदों को भी मैं अपनी तरफ से शत्-शत् नमन करता हूँ।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. उप–निरीक्षक चरण सिंह, गांव भोलबास भोंदू, जिला रेवाड़ी।
2. सहायक उप–निरीक्षक रामनिवास, गांव नेहरूगढ़, जिला रेवाड़ी।
3. सूबेदार मेजर सतपाल सिंह, गांव जड़ौला, जिला कैथल।

4. सूबेदार नेकी राम, गांव बेरी, जिला महेन्द्रगढ़।
5. मुख्य नाविक अधिकारी विजय कुमार, गांव मंडोला, जिला भिवानी।
6. हवलदार पवन कुमार, गांव ट्यौंठा, जिला कैथल।
7. नायक अजीत सिंह, गांव सिलारपुर, जिला महेन्द्रगढ़
8. नायक सतेन्द्र कुमार, गांव लाधूवास, जिला रेवाड़ी।
9. लांस नायक कुलदीप कुमार, गांव बुल्लाखेड़ी, जिला जींद।
10. सिपाही नवल किशोर, गांव सीहा, जिला रेवाड़ी।
11. सिपाही मोनू, गांव गागड़ा, जिला हिसार।
12. सिपाही साहब सिंह, गांव जाजी, जिला सोनीपत।

मैं अपनी तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्-शत् नमन करता हूँ और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता हूँ। इसी तरह से रेल हादसे में 26 जनवरी, 2015 को जिला हिसार के गांव सरसौद के पास एक वाहन के रेलगाड़ी की चपेट में आने से मारे गये 13 लोगों को दु:खद एवं सामयिक निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी तरफ से दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी तरफ से केन्द्रीय राज्य मंत्री, राव इन्द्रजीत सिंह की बुआ, श्रीमती गुणवंती देवी; स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री, श्री अनिल विज की चाची, श्रीमती बिमला देवी; विधायक, श्री श्रीकृष्ण हुड्डा की भाभी, श्रीमती चन्द्रावली व भतीजे श्री राजबीर; विधायक, श्री परमिन्द्र ढुल की माता, श्रीमती नच्छत्र कौर; विधायक, श्री सुभाष सुधा की माता, श्रीमती करतार देवी; विधायक, श्री टेकचन्द शर्मा की बहन, श्रीमती बतना देवी; पूर्व मुख्यमंत्री, श्री हुकम सिंह की पत्नी, श्रीमती शांति देवी; पूर्व सांसद, श्री आत्मा सिंह गिल की पत्नी, श्रीमती सुरजीत कौर; पूर्व मंत्री, प्रो. छत्तरपाल सिंह के पिता, चौधरी हुकम सिंह; पूर्व मुख्य संसदीय सचिव, श्री जलेब खां के भाई, श्री शेर मोहम्मद; पूर्व विधायक, श्री बलबीर सिंह की पत्नी, श्रीमती कमल देव; तथा पूर्व विधायक, श्री चन्द्र भाटिया की माता, श्रीमती कान्ता भाटिया; के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। इसी तरह से आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी जो भारत की विदेश मंत्री हैं उनके मामा के लड़के पण्डित फुलचन्द सुमन जो वर्ष 1977 में उनके राजनीतिक सलाहकार भी रहे थे तथा जो हरियाणा साहित्य सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके निधन पर मैं अपनी तरफ से शोक प्रकट करता हूँ। श्री फूलसिंह खेड़ी, भूतपूर्व एम.एल.ए. की माता श्रीमती धनपति और स्वतंत्रता सेनानी श्री पूर्ण सिंह दलाल के परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं तथा सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री टेक चन्द शर्मा (पृथला) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता के द्वारा जो शोक प्रस्ताव इस सदन में पेश किया है मैं अपनी तरफ से उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और परम पिता परमात्मा से यह दुआ करता हूं कि उन परिवारों पर जो यह कष्ट का समय आया है उनको यह कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे और उनके घरों में शान्ति रखे। नमस्कार।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखा है उस पर विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने अपनी संवेदना प्रकट की है उसके लिए मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूँ। श्री हुकम सिंह जी जो हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे उनके दिनांक 26.2.2015 को हुए निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ। वे वर्ष 1977, 1982 और 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और वर्ष 1987 से 1990 के दौरान हरियाणा के मंत्री रहे। वर्ष 1990-91 के दौरान वे हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री भी रहे। वे सदा कमजोर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित रहे। उनके निधन पर मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। श्री सुल्तान सिंह जी जो त्रिपुरा के भूतपूर्व राज्यपाल रहे, उनके दिनांक 16.12.2014 को हुए दुखद निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ। वे वर्ष 1970 से 1986 तक वे लगातार तीन बार राज्यसभा के सदस्य चुने गये। इसके अलावा सयुक्त पंजाब में पंजाब विधान परिषद के सदस्य भी रहे। उन्होंने वर्ष 1989-91 के दौरान त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। उन्होंने अपना सारा जीवन राज्य की सेवा में समर्पित कर दिया। श्रीमती प्रसन्नी देवी भूतपूर्व मंत्री के हुए दुखद निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ। वे पांच बार लगातार इस सदन की सदस्या रहीं, मंत्री भी रहीं, उनके जाने से इस सदन ने पिछड़े वर्ग, महिलाओं के उत्थान और अनुसुचित जाति के हमदर्द नेता को खो दिया है। श्री मनफूल सिंह जो संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य रहे, के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। वे वर्ष 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। इसके अलावा मैं उन सभी श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमारे देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इसी प्रकार से उन सभी वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूँ जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। 26 जनवरी, 2015 को जिला हिसार के गाँव सरसौद के पास एक वाहन के रेलगाड़ी की चपेट में आने से मारे गये 13 लोगों के दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। हमारे सभी सांसदों और विधायकों के निजि संबंधी के जाने पर भी मैं अपनी तरफ से शोक प्रकट करता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे ताकि उन दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्राप्त हो सके। मैं इस सदन की भावनाओं को इन सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शान्ति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन धारण किया।)

महाधिवक्ता, हरियाणा का परिचय तथा अभिनंदन

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय एडवोकेट जनरल साहब जो बहुत वर्षों के बाद आज पहली बार इस सदन में आये हैं उनका परिचय सभी माननीय सदस्यों को देने की कृपा करें।

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, श्री बलदेव महाजन जी हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल हैं। वे बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तथा आज सदन में उपस्थित हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम सभी सदस्यगण श्री बलदेव महाजन, एडवोकेट जनरल साहब का सदन में आने पर स्वागत करते हैं तथा उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर उपस्थित होकर सदन की गरिमा बढ़ाई।

श्री बलदेव महाजन (एडवोकेट जनरल) : इस महान सदन में माननीय सदस्यों ने मेरा स्वागत किया है, इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ।

बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा प्रदेश के महान नेता व भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी हुकम सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। यदि सदन की सहमति हो तो सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन की आज की शेष कार्यवाही कल दिनांक 10 मार्च, 2015 प्रात : 10.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाए।

आवाजें : हाँ जी, ठीक है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की आज की शेष कार्यवाही कल 10 मार्च, 2015 के लिए स्थगित की जाती है।

*16.27 बजे (तत्पश्चात् सदन मंगलवार, 10 मार्च, 2015, प्रात: 10.00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ)

53378—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh